मूल्य: 20/-

(कला–संस्कृति और सामाजिक चेतना का स्वर)

बोलो जिंदगी

वर्ष-2, अंक:-4 अप्रैल, 2025

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक

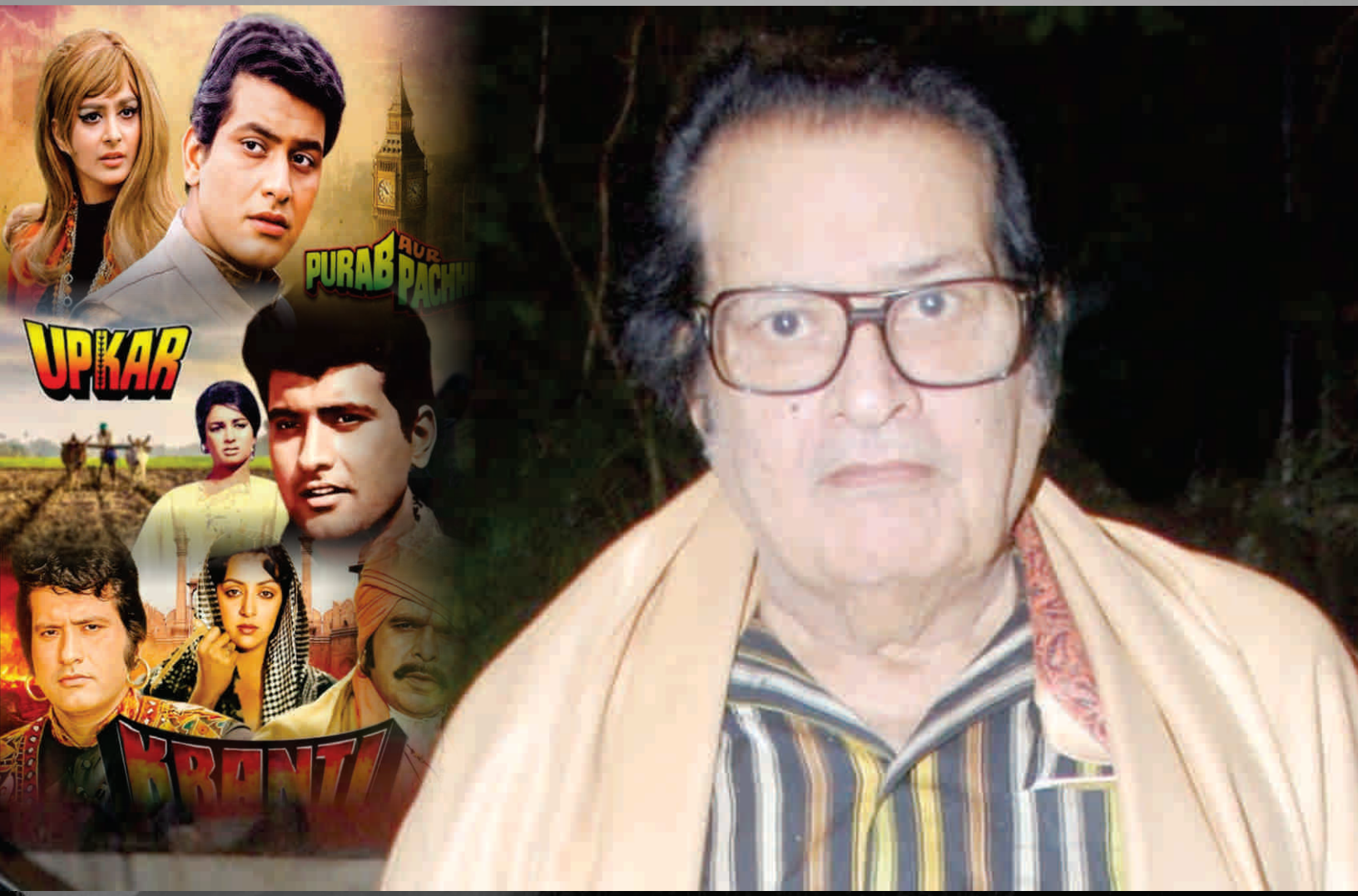

देशभक्ति फिल्मों का चलन शुरू करने की वजह से मनोज कुमार को भारत कुमार का उपनाम दिया गया था

- डॉ. अम्बेदकर की अभिव्यक्ति सही राष्ट्रवाद है जाति–भावना का परित्याग
- जलियांवाला बाग हत्याकांड : गांधी जी ने कहा था ब्रिटिश राज का, सबसे काला अध्याय
- जनधन योजना में वृद्धि प्रधानमंत्री की अवधारणा से हुई

मां को श्रद्धांजलि

(01.01.1960 – 23.03.2025)

ईश्वर 'बोलो जिंदगी' के एडिटर इन चीफ की माता जी ललिता सिंह की आत्मा को असीम शांति प्रदान करे..

बांये से राहुल राज एवं दायें से राकेश सिंह 'सोनू', एडिटर इन चीफ, 'बोलो जिंदगी'

'कुछ लोग याद करने के बावजूद भी जेहन में कभी याद नहीं रहते... कुछ लोग याद किए बिना भी हमेशा जेहन में बने रहते हैं... जैसे कि मां आप'

–राकेश सिंह 'सोनू', एडिटर इन चीफ, 'बोलो जिंदगी'

(कला–संस्कृति और सामाजिक चेतना का स्वर)

बोलो जिंदगी

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक

वर्ष–2, अंक: 04 अप्रैल, 2025

संपादक : **राकेश कुमार सिंह**
सहायक संपादक : **अमलेंदु कुमार**
प्रबंध संपादक : **प्रीतम कुमार**
सलाहकार संपादक : **मनोज भावुक**
कंप्यूटर ग्राफिक्स : **संजय कुमार**
कानूनी सलाहकार : **अमित कुमार**

BIHHIN/2023/86004

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश कुमार सिंह द्वारा अन्नपूर्णा ग्राफिक्स, C/O जय दुर्गा प्रेस, बिहाइंड गुलाब पैलेस, आर्य कुमार रोड, पटना, बिहार–800004 से मुद्रित एवं 3/8, देवकुमारी भवन, प. बोरिंग केनाल रोड, आनंदपुरी, पटना, बिहार – 800001 से प्रकाशित ।
संपादक : **राकेश कुमार सिंह**

संपादकीय कार्यालय
3/8, देवकुमारी भवन, प. बोरिंग केनाल रोड,
आनंदपुरी, पटना, बिहार – 800001.
मो. – 7903935006/7870110114
ई मेल : bolozindagi@gmail.com

रजि. कार्यालय
3/8, देवकुमारी भवन, प. बोरिंग केनाल रोड,
आनंदपुरी, पटना, बिहार – 800001.
मो. : 7903935006 / 7870110114
ई मेल : bolozindagi@gmail.com
वेबसाइट : www.bolozindagi.com

सभी पद अवैतनिक

सभी विवादों का निपटारा पटना की सीमा में आनेवाली सक्षम अदालतों में किया जाएगा।

देशभक्तिफिल्मों का चलन शुरू करने की वजह से मनोज कुमार को भारत कुमार का उपनाम दिया गया था

1. मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों के लिए सदा याद रखा जाएगा 2
2. भारत कुमार के नाम से मशहूर अभिनेता मनोज कुमार अभिनेता धर्मेंद्र के साथ कपड़े शेयर करते थे 7
3. डॉ. अम्बेदकर की अभिव्यक्ति सही राष्ट्रवाद है जाति–भावना का परित्याग : तभी राष्ट्रवाद औचित्य ग्रहण कर सकता है 8
4. जलियांवाला बाग हत्याकांड : गांधी जी ने कहा था ब्रिटिश राज का, सबसे काला अध्याय 12
5. 8 साल जॉब करने के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया : गुरुदयाल सिंह, पूर्व अध्यक्ष, 'पंजाबी बिरादरी', पटना 13
6. सतुआन पर्व का महत्व 15
7. भूमि माँ समान 16
8. जनधन योजना में वृद्धि प्रधानमंत्री की अवधारणा से हुई 17
9. भगवान पार्श्वनाथ करुणावतार तो थे ही वे कर्मावतार भी थे 20
10. शादी कब होगी? 21
11. आशियाना 22
12. सुकून 23
13. वक्फ के दावों को सही साबित करने के लिए निराधार तार्किक दावे किए जा रहे हैं 24
14. जीवन में बंधन का महत्व 25
15. संजय मिश्रा, महेश मांजरेकर और नीरज चौहान अभिनीत फिल्म ''द सीक्रेट ऑफ देवकाली'' रिलीज को तैयार 26
16. 'पंजाब किंग्स' ने अपनी मार्केटिंग और डिजिटल सामग्री बनाने के लिए साहिबा बाली को शामिल किया; श्रेयस अय्यर ने उन्हें भाग्यशाली शुभंकर बताया 27
17. वक्फ (संशोधन) विधेयक बना कानून–देश में विरोध प्रदर्शन शुरू 28
18. बनाएं कुरकुरा और मुलायम दही बड़ा 31
19. भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025–प्रमुख परिवर्तन और प्रभाव 32

मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों के लिए सदा याद रखा जाएगा

यह भला किसे पता था कि मनोज कुमार (मूल नाम : हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी) कभी भारत कुमार के नाम से इतनी प्रसिद्धि पाएंगे।

बतौर अभिनेता वो अपनी रोमांटिक और लीक से हटकर की गई फिल्मों के हिट होने से नाम कमा ही रहे थें, लेकिन असल नाम का डंका तब बजने लगा जब वे देशभक्ति फिल्में बनाने लगें। कामयाब अभिनेता तो वे थें ही बाद में दो कदम आगे बढ़कर लेखक, गीतकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता भी बन गएं।

फिल्म 'शहीद' में भगत सिंह का किरदार निभाने के बाद उनके कंधों पर उम्मीदों व आकांक्षाओं का भार आ गया। वे उम्मीद पर खरे उतरे भी जब 'उपकार' फिल्म से उन्होंने देशभक्ति की अलख जगाई। फिल्म में 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती' यह गीत आज भी गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में देशभर में सुना जाता है।

मनोज कुमार को उन्हीं की शिद्दत से बनाई देशभक्ति फिल्में 'पूरब और पश्चिम' और 'क्रांति' के लिए भी देशभक्त याद करते हैं। पूरब और पश्चिम 'का यह गीत' 'है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं.. भारत का रहनेवाला हूं भारत की बात सुनाता हूं' जिसे आज भी सुनकर जिस्म में देशभक्ति का जोश उमड़ आता है। इस फिल्म का क्रेज इतना की इसी कहानी को ध्यान में रहकर मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार को लेकर फिल्म 'नमस्ते लंदन' बनाई जाती है और देशभक्ति फ्लेवर की वजह से सुपरहिट भी हो जाती है।

फिल्म 'रोटी कपड़ा और मकान' के जरिए भी मनोज कुमार ने देश और समाज का खूबसूरती से चित्रण कराया था।

फिल्म जगत में अपने अमूल्य योगदान की वजह से मनोज कुमार उर्फ भारत कुमार सदा के लिए देशभक्तों के दिल में रौशन रहा करेंगे।

राकेश कुमार सिंह
संपादक

देशभक्तिफिल्मों का चलन शुरू करने की वजह से मनोज कुमार को भारत कुमार का उपनाम दिया गया था

मनोज कुमार (हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी); (24 जुलाई 1937 – 4 अप्रैल 2025) एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया। चार दशकों से अधिक के करियर में, उन्होंने 55 फिल्मों में काम किया। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। देशभक्ति फिल्मों का चलन शुरू करने के लिए जाने जाने वाले, उन्हें भारत कुमार का उपनाम दिया गया था।

भारतीय सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 1992 में पद्म श्री और 2015 में सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया । उन्हें विभिन्न श्रेणियों में एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सात फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिले।

1957–1964: पदार्पण और प्रसिद्धि की ओर बढ़ना

फैशन (1957) में कम चर्चित शुरुआत करने के बाद, सहारा (1958), चांद (1959) और हनीमून (1960) जैसी फिल्मों में भूली–बिसरी भूमिकाएं निभाने के बाद, मनोज कुमार ने कांच की गुड़िया (1961) में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई । इसके बाद पिया मिलन की आस (1961), सुहाग सिंदूर (1961), रेशमी रूमाल (1961) जैसी फिल्में आईं, लेकिन इनमें से अधिकांश फिल्में बिना किसी निशान के डूब गईं।

पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता 1962 में विजय भट्ट की हरियाली और रास्ता में माला सिन्हा के साथ मिली। हरियाली और रास्ता की सफलता के बाद शादी (1962), डॉ. विद्या (1962) और गृहस्थी (1963) आईं, जिनमें से तीनों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया।

कुमार को राज खोसला की रहस्य थ्रिलर वो कौन थी? (1964) में मुख्य भूमिका के रूप में एक और बड़ी सफलता मिली। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसका श्रेय इसकी दमदार पटकथा और मदन मोहन द्वारा रचित मधुर गीतों को दिया जाता है , जैसे लग जा गले और नैना बरसे रिमझिम, दोनों ही लता मंगेशकर द्वारा एकल गाए गए थे ।

1965–1981: स्टारडम

वर्ष 1965 कुमार के स्टारडम के उदय की शुरुआत का वर्ष है। उनकी पहली रिलीज देशभक्ति फिल्म शहीद थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। इसे आलोचकों के साथ–साथ भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री से भी अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही।

इसके बाद रोमांटिक ड्रामा हिमालय की गोद में आई, जो एक ब्लॉकबस्टर थी जिसने उन्हें एक बैंकेबल स्टार बना दिया। साल के अंत से पहले, उन्होंने मिस्ट्री थ्रिलर गुमनाम के साथ एक और हिट हासिल की। सफलता का सिलसिला 1966 में जारी रहा, जब उन्होंने आशा पारेख के साथ दो बदन के लिए खोसला के साथ फिर से काम किया। इस फिल्म को खोसला के निर्देशन, कुमार के अभिनय और गीतकार शकील बदायुनी द्वारा लिखे गीतों के लिए याद किया जाता है, जिसमें मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया

राहा गर्दनों में और लता मंगेशकर का एकल गीत लो आ गई उनकी याद शामिल है। उन्होंने उस वर्ष शक्ति सामंत की सावन की घटा में शर्मिला टैगोर के साथ अभिनय करते हुए एक और हिट दी।

1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के बाद, प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान (सैनिक की जय, किसान की जय) पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए कहा। इसका परिणाम उनकी निर्देशन की पहली फिल्म थी, देशभक्ति ड्रामा उपकार (1967)। इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह उस वर्ष बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष पर रही, अंततः एक ऑल–टाइम ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी। इसका संगीत 1960 के दशक का छठा सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी फिल्म एल्बम था। उपकार का एक गीत, 'मेरे देश की धरती' हर साल भारत में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बजाया जाता है। फिल्म ने कुमार को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और साथ ही उनका पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार दिलाया।

उनकी अगली रिलीज, पत्थर के सनम भी एक बड़ी हिट साबित हुई। 1968 में, उन्होंने नील कमल में राज कुमार और वहीदा रहमान के साथ सह–अभिनय किया। उसी वर्ष, उन्होंने आदमी के लिए रहमान के साथ फिर से काम किया, जिसमें दिलीप कुमार भी मुख्य भूमिका में थे।

नील कमल बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 1968 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। आदमी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी यात्रा के अंत तक इसे हिट घोषित कर दिया गया।

वर्ष 1969 में राजेश खन्ना का उदय हुआ, जिन्होंने आराधना और दो रास्ते जैसी लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्मों से देश में तहलका मचा दिया। उस वर्ष कुमार की एकमात्र रिलीज मोहन सहगल की हैप्पी गो लवली (1951) थी, जो पारेख की सह–अभिनीत साजन पर आधारित थी। यह फिल्म हिट रही और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दसवें स्थान पर रही।

कुमार 1970 में पूरब और पश्चिम के साथ देशभक्ति विषयों पर लौटे, जिसमें पूर्व और पश्चिम में जीवन को एक साथ दिखाया गया था। यह भारत और विदेशों दोनों में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यूनाइटेड किंगडम में , फिल्म 1971 में रिलीज हुई और लंदन में 50 सप्ताह से अधिक समय

तक चली। इसने यूके में £285,000 की कमाई की, जो 2.5 मिलियन (यूएस $332,252.41)के बराबर है। इसने यूके बॉक्स ऑफिस पर दो रास्ते का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो एक साल पहले यूके में रिलीज हुई थी। पूरब और पश्चिम ने यूके का रिकॉर्ड 23 साल तक अपने नाम रखा, जब तक कि इसे अंततः 1994 में हम आपके हैं कौन ने नहीं तोड़ा। 1970 में उनकी अन्य रिलीज थीं – यादगार , पहचान और मेरा नाम जोकर। पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जबकि पहचान (बबीता के साथ) एक हिट फिल्म साबित हुई, लेकिन राज कपूर की मेरा नाम जोकर (जिसमें उनकी सहायक भूमिका थी) रिलीज के समय फ्लॉप रही, लेकिन समय बीतने और विश्व सिनेमा में भारतीय सामग्री की बढ़ती दृश्यता के साथ इसे पंथ का दर्जा प्राप्त हुआ।

अगले वर्ष 1971 में बलिदान के साथ एक अर्ध–हिट देने के बाद, उन्होंने सोहनलाल कंवर की बे–ईमान में अभिनय किया और शोर में निर्देशन और अभिनय किया। दोनों फिल्मों को अपने दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरीं। उत्तरार्द्ध में यादगार गीत एक प्यार का नगमा है था, जो लता मंगेशकर और मुकेश का एक युगल गीत था, जिसे लक्ष्मीकांत–प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था और इसे बिनाका गीतमाला वार्षिक सूची 1972 में #29 पर सूचीबद्ध किया गया था। कुमार ने बे–ईमान में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला और एकमात्र फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, साथ ही शोर के लिए सर्वश्रेष्ठ संपादन का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता।

कुमार का शिखर 1970 के दशक के मध्य में आया, जब उन्होंने लगातार तीन बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। इसकी शुरुआत सामाजिक फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से हुई, जिसका निर्देशन भी उन्होंने किया था। कुमार के अलावा, फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया था। 18 अक्टूबर 1974 को रिलीज हुई, यह साल की सबसे बड़ी हिट बनकर उभरी और इसके रन के अंत तक इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का फैसला दिया गया। लक्ष्मीकांत–प्यारेलाल द्वारा रचित इसके साउंडट्रैक ने संगीत चार्ट पर अपना दबदबा बनाया और यह 1970 के दशक की पाँचवीं सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बम थी।

1975 में, कुमार ने सोहनलाल कंवर के साथ सन्यासी के लिए फिर से काम किया, जिसने बम्पर शुरुआत की, अंततः एक ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर तीसरा स्थान हासिल किया। फिल्म में एक धार्मिक विचारधारा वाले युवक के चित्रण के लिए, कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में अपना चौथा और अंतिम नामांकन मिला। 1976 में एक्शन क्राइम फिल्म दस नंबरी के साथ , उन्होंने ब्लॉकबस्टर की अपनी हैट्रिक पूरी की।

1977 में उनकी दो फिल्में रिलीज हुईं, बहुत देर से आई अमानत और शिरडी के साईं बाबा, दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। एक साल के लंबे ब्रेक के बाद, उन्होंने हिट पंजाबी फिल्म जट पंजाबी में अभिनय किया। 1981 में, कुमार ने दिलीप कुमार, हेमा मालिनी , शशि कपूर, परवीन बॉबी और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ऐतिहासिक ड्रामा क्रांति का निर्देशन और अभिनय किया। क्रांति 1981 में बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष पर रहते हुए, अब तक की सबसे बड़ी देशभक्ति हिट बन गई। यह 1980 के दशक की सबसे सफल फिल्म थी, और उपकार और रोटी कपड़ा और मकान के बाद कुमार की तीसरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म से उत्पन्न क्रेज ऐसा था कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसी जगहों पर क्रांति टी–शर्ट, जैकेट, बनियान और यहां तक कि अंडरवियर बेचने वाली दुकानें थी।

वर्ष 1981 उद्योग के लिए एक बड़ा वर्ष था जिसमें नसीब, लावारिस, एक दूजे के लिए, लव स्टोरी और मेरी आवाज सुनो जैसी कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में और कई अन्य हिट फिल्में आईं, लेकिन क्रांति अलग और शीर्ष पर रही। यह कुमार के करियर की आखिरी उल्लेखनीय सफल हिंदी फिल्म भी साबित हुई।

1987–1999 बाद का करियर

1981 में क्रांति के बाद, कुमार का करियर ढलान पर आ गया और उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कलयुग और रामायण (1987), संतोष (1989), क्लर्क (1989) और देशवासी (1991), सभी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। 1995 की फिल्म मैदान–ए–जंग में अपनी उपस्थिति के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। उन्होंने अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को 1999 की फिल्म जय हिंद में निर्देशित किया, जो देशभक्ति की थीम पर आधारित थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उसी वर्ष, 44वें फिल्मफेयर पुरस्कार में, उन्हें 40 साल से अधिक के करियर के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राजनीति

अन्य बॉलीवुड सितारों की तरह, कुमार ने भी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। 2004 के भारतीय आम चुनाव से पहले, वे आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ❐

भारत कुमार के नाम से मशहूर अभिनेता मनोज कुमार अभिनेता धर्मेंद्र के साथ कपड़े शेयर करते थे

एक्टर मनोज कुमार के निधन से बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा। वहीं पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शोक में डूब गई। वहीं सुपरस्टार के भाई मनीष गोस्वामी ने उनकी विरासत, जिंदगी और करियर के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे धर्मेंद्र और उनके भाई मनोज कुमार ने कामयाबी की सीढियां साथ में चढ़ीं और वह एक–दूसरे के इतने करीब थे कि कपड़े भी शेयर करते थे। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों को लगा कि वह करियर नहीं बना पाएंगे तो उन्होंने अपने अपने गांव वापस लौटने का फैसला कर लिया।

मनीष गोस्वामी ने बताया, वह धर्मेंद्र जी के बहुत करीब थे। वह रंजीत स्टूडियोज में साथ में स्ट्रगल करते थे। एक दिन काम की कमी होने पर दोनों ने फैसला किया बॉलीवुड छोड़कर और अपने अपने गांव चले जाएं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दोनों सुपरस्टार्स ने शादी (1962) और मेरा नाम जोकर (1970) में साथ काम किया, जो बाद में क्लासिक इंडियन सिनेमा में गिनी जाती हैं।

धर्मेंद्र और मनोज कुमार के रिश्ते पर उन्होंने कहा, वह अपने कपड़े शेयर करते थे और मनोज को हरी कहकर पुकारते थे। उन्होंने कभी उनका स्टेज नाम नहीं लिया। तो जब वह प्रेयर मीट में आए तो उन्होंने कहा, हरी, तू चला गया मुझे छोड़ के। वह और लोगों के भी करीब थे, जिनमें प्राण, प्रेम चोपड़ा और कामिनी कौशल भी हैं।

आगे मनीष गोस्वामी ने इंडस्ट्री में अपने भाई की साख के बारे में भी बात करते हुए कहा, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर मैं देर से आता था तो भी वे मुझे कभी नहीं डांटते थें। सायरा बानो ने कहा कि मनोज कुमार ने पूरब और पश्चिम फिल्म को बंद करने का फैसला किया था, क्योंकि वे फिल्म में काम नहीं कर रही थीं। वे बहुत अच्छे फिल्ममेकर थें और मैंने उन्हें कभी सेट पर गुस्सा होते नहीं देखा। वे कभी अपना आपा नहीं खोते थें, भले ही एक्टर अच्छा परफॉर्म न कर रहा हो या प्रोडक्शन की जरूरतें पूरी न हो रही हों।

सौजन्यः एनडीटीवी डॉट इन

❐

डॉ. अम्बेदकर की अभिव्यक्ति सही राष्ट्रवाद है जाति-भावना का परित्याग : तभी राष्ट्रवाद औचित्य ग्रहण कर सकता है

✍ जितेन्द्र कुमार सिन्हा
पूर्व अध्यक्ष
बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन

सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें यह अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। परन्तु जिस मिट्टी में, पलकर हम सब बड़े हुए, उसके लिए मरना शान की बात है, इंसान में अगर यह अरमान है तो राष्ट्र के लिए मरना शान की बात है। डॉ० भीम राव अम्बेदकर ने अपनी अभिव्यक्ति में कहा था कि ''मैं अपने और राष्ट्र के बीच, राष्ट्र को ही महत्व दूंगा।''

भारतीय इतिहास आदिकाल से ही उन महान चिंतकों एवं मनीषियों की थाती रहा है, जिन्होंने अपने विषद् चिंतन एवं दर्शन से समाज, ज्ञान–विज्ञान और कला–संस्कृति को हमेशा नये आयाम दिये हैं। प्रत्येक युग में मानव मूल्यों की सुरक्षा एवं संवृद्धि में वे सदैव अग्रणी रहे हैं और समाज तथा राज दोनों के दुराग्रही दंभ एवं कुरीतियों के प्रखर विरोधी भी थे। बुद्ध, कबीर, नानक, तुलसी, राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानन्द और महात्मा गाँधी सभी सामाजिक चेतना और समभाव के अलमबरदार रहे थे। इसी सुशोभित गुरूतामण्डित लड़ी की कड़ी थे डॉ० भीम राव अम्बेदकर।

डॉ० अम्बेदकर का पूरा नाम 'भीमराव रामजी अम्बेदकर' था। उनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश की महु छावनी में हुआ था। इनका उपनाम 'सकपाल' था। इन्हें बाबा साहब की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इनके पूर्वज महाराष्ट्र के निकासी थे। डॉ० अम्बेदकर का निधन 06 दिसम्बर, 1956 को दिल्ली में हुआ था।

डॉ० अम्बेदकर ने दो शादी किया था। पहली शादी 9 वर्ष की उम्र में, रामा बाई से 1905 में, जिसकी मृत्यु 1935 में हो गई थी। दूसरी शादी ब्राह्मण कन्या शारदा कुबेर से 1948 में, जिसका नाम उन्होंने बदलकर सविता अम्बेदकर कर दिया था।

डॉ० अम्बेदकर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, पर उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि प्रतिभा और उच्च मनोबल से जीवन की हर बाधा पार की जा सकती है। उनके जीवन की सबसे बड़ी बाधा थी हिन्दू समाज की जाति व्यवस्था, जिसके तहत जिस परिवार में वे जन्मे, उसे ''अस्पृश्य'' माना जाता था। 1908 में युवक भीम राव ने बम्बई विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। एक अस्पृश्य बालक के लिये यह एक अद्भूत एवं बिरल उपलब्धि थी। डॉ० अम्बेदकर के पिता अपने बच्चों को विशेषकर भीम राव को, विद्यार्जन के लिये निरन्तर प्रेरित करते रहते थे।

चार साल बाद बम्बई (मुंबई) विश्वविद्यालय से ही राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में स्नातक परीक्षा पास की और उसके साथ ही उन्हें बड़ौदा में नौकरी मिल गयी थी। इसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया था। पिता की मृत्यु के चार माह बाद भीम राव को कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए अमेरिका जाने का अवसर मिला था, जिसके लिये बड़ौदा राज्य के महाराज से उन्हें छात्रवृति प्राप्त हुई थी। उनकी यह उपलब्धि बेमिसाल थी। फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। उनका यह दृढ़ मत था कि ज्ञान

ही शक्ति है और इस शक्ति के बिना वे उन करोड़ों अछूतों की बेड़ियों को नहीं काट सकते, जिनके कारण वे दासत्व की स्थिति में पड़े हुए हैं। 1913 से 1917 तथा 1920 से 1923 तक की अवधि में वे विदेश में रहे थे और 32 वर्ष की आयु में अंतिम रूप से भारत लौट आये थे। इस बीच स्वयं को उन्होंने एक जाने–माने प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित कर लिया था। कोलम्बिया विश्वविद्यालय में उन्हें उनके शोध ग्रंथ पर पीएचडी की डिग्री प्रदान की गयी थी। बाद में उनका यह शोध ग्रंथ पुस्तक के रूप में छपा जिसका शीर्षक था– ''द एबूल्यूशन ऑफ प्रोविशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया''।

लंदन में अपने प्रवास की अवधि 1920 से 23 तक के दौरान उन्होंने ''द प्रोब्लम ऑफ द रूपि'' नामक अपने शोध ग्रंथ का कार्य भी पूरा किया था जिसके लिये उन्हें डीएससी की उपाधि प्रदान की गयी थी। लंदन जाने के पहले उन्होंने बम्बई (मुंबई) के एक कॉलेज में कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य भी किया था। अप्रैल, 1923 में भारत लौटने पर अछूतों और दलितों के हित के लिए संघर्ष करने हेतु डॉ० अम्बेदकर ने स्वयं को पूरी तरह तैयार कर लिया था। उस समय तक भारत में राजनैतिक परिस्थितियाँ काफी बदल चुकी थी और देश में स्वतंत्रता संग्राम काफी आगे बढ़ चुका था। तब से आजादी मिलने यानि 1947 तक उनके जीवनवृत और भारतीय इतिहास को अलग कर पाना कठिन है।

डॉ० अम्बेदकर एक साधारण मानव नहीं, विशिष्ट प्रतिभा से सम्पन्न एक महामानव थे। उन्होंने कहा था कि ''सही राष्ट्रवाद है जाति–भावना का परित्याग, राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। राष्ट्रीय एकता के लिए, सभी के लिए, एक भाषा होना जरूरी है, वह है हिन्दी।''

डॉ० अम्बेदकर अपने लोगों में व्याप्त अंधविश्वास को मिटाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने किसी एक जाति या वर्ग के लिए कार्य नहीं किया बल्कि सम्पूर्ण मानवता को समता और बराबरी का हक दिलाने के लिए अटूट संघर्ष किया था। उन्होंने सदियों से सताये दलितों एवं शोषितों के बीच, जागृति का संदेश देते हुए, शेष समाज को, उनसे जुड़ने तथा उनके सुख–दुख में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया था।

स्वाधीनता मिलने के बाद अगस्त, 1947 में उन्हें भारत का कानून मंत्री बनाया गया था, किन्तु हिन्दू कोड बिल को लेकर सरकार से मतभेद हो गया और उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

29 मई, 1956 को उन्होंने बम्बई में बुद्ध जयन्ती के अवसर पर घोषणा की कि वे अक्तूबर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और 14 अक्तूबर, 1956 को हिन्दू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली।

डॉ० अम्बेदकर को लोकतंत्र में विश्वास था और धार्मिक दृष्टि से भगवान बुद्ध का मत उन्हें अधिक आकर्षक लगता था। उनके प्रगतिशील विचारों का ही यह प्रमाण है कि भारतीय संविधान द्वारा देश से जाति, धर्म, भाषा और स्त्री–पुरूष के आधार पर सभी प्रकार के भेदभावों को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया है। संविधान की एक–एक पंक्ति में उनकी संवैधानिक विज्ञता, विधि कुशलता, उनकी दूरदर्शित तथा बुद्धिमता प्रतिविम्बित है।

संविधान सभा ने अम्बदेकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था और इस तरह वह अस्पृश्य व्यक्ति मातृभूमि के संविधान का शिल्पी बना। डॉ० अम्बेदकर के विषय में भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश राजेन्द्र गडकर ने कहा था– ''अम्बेदकर 20 वीं शताब्दी के विधि निर्माता और आधुनिक मनु हैं लेकिन पुरातन मनु के विपरीत यह नया मनु जात–पात भजक तथा मानव में समानता और सामाजिक न्याय का पोषक था।''

डॉ० अम्बेदकर ने प्रथम संपादकीय 'मूक नायक' में लिखा था कि 'भारत को स्वतंत्र होने से पूर्व आर्थिक, सामाजिक, राजनीति एवं धार्मिक क्षेत्रों में समानता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।'' उन्होंने 'स्टेट एंड मायनारिटाज' ग्रंथ में जमीन के संबंध में अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। वे अर्थशस्त्री के नाते माल्थस के पक्षधर थे।

डॉ० अम्बेदकर जात–पात के प्रबल विरोधी थे। जाति–तत्व का सूक्ष्म विशलेशन करते हुए उनका कहना था कि यह न तो श्रम विभाजन पर आधारित है और न प्राकृतिक क्षमताओं पर। जाति व्यक्ति के लिये पहले से काम निर्धारित

करती है, उनके प्रशिक्षण और उनकी मौलिक क्षमताओं पर नहीं। जात–पात का निर्धारण जन्म और माता–पिता के सामाजिक दर्जे पर किया जाता है। जाति व्यवस्था जिन विषैले सिद्धान्तों पर आधारित है उनसे कुंठाए जन्म लेती हैं। इसके कारण बदलती परिस्थिति के अनुरूप व्यवसाय और काम–धंधे में परिवर्तन करना असंभव हो जाता है। साथ ही, यह भ्रांति भी दृढ़ होती है कि सब नियति का खेल है और प्रगति असंभव है। उन्होंने ठोस तर्क देकर सिद्ध किया कि चतुर्वर्ण और जाति प्रथा के कारण ही भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या स्थायी रूप से अक्षम हो गयी है।

डॉ० अम्बेदकर ने एक ओर समाज के लिए अहितकर रूढ़ियों और परम्पराओं पर चोट किया था, तो दूसरी ओर सदियों से सताये गये दलितों एवं शोषितों के बीच जागृति का संदेश देते हुए शेष समाज को उनसे जुड़ने तथा उनके सुख–दुख में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया था।

डॉ० अम्बेदकर का राष्ट्रवाद दलितों और निर्धनों के उद्धार के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने समानता और नागरिक अधिकार दिलाने के लिये जीवन पर्यन्त संघर्ष किया था। राष्ट्रीयता संबंधी विचार केवल गुलाम देशों की मुक्ति तक ही सीमित नहीं है वरन् वे प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते थे। उनके अनुसार जब तक जातिविहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है।

डॉ० अम्बेदकर ने कहा था कि किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगता है कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। जातिवाद को तोड़ने के लिए वास्तविक समाधान अंतर्जातीय विवाह है।

डॉ० अम्बेदकर के संबंध में हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुए हैं, जिसमें डॉ० अम्बेदकर लाईफ एण्ड मिशन, दि पोलिटिकल फिलोसफी ऑफ डॉ० बी० आर० अम्बेदकर, स्टाउट हैट्स एण्ड ओपेन हैन्ड्स, भारत निर्माता डॉ० अम्बेदकर तथा डॉ० अम्बेदकर एक चिंतन आदि प्रमुख है।

बाबा साहब एक महान समाज सुधारक, पद–दलितों के मुक्तिदाता, गरीबों के मसीहा और दबी–कुचली मानवता के फौलादी संरक्षक थे। भारत के इतिहास में उन्होंने जो विशिष्ट प्रतिष्ठाजनक स्थान बनाया है वह इसलिये नहीं कि वे एक धुआंधार लेखक, जाने–माने अर्थशास्त्री अथवा निपुण राजनीतिज्ञ थे या वकालत में उन्होंने बहुत यश कमाया या भारतीय गणराज्य के संविधान निर्माताओं में ग्रणी थे, बल्कि यह स्थान बना है तो इसलिये कि उन्होंने जात–पात के घिनौने संसार से अस्पृश्यों को बाहर निकाला, उन्हें सम्मान दिलाया, उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराया, उनका साया बल जगाया, उन्हें संगठित कर एक मंच पर ला खड़ा किया तथा उनके अधिकारों के लिये संघर्ष का बिगुल बजाया था।

डॉ० अम्बेदकर ने कहा था कि ''मेरे नाम की जय–जयकार करने से अच्छा है, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें।'' उन्होंने यह भी कहा था कि ''मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने सभी दबे–कुचले भाईयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ।'' संविधान, एक मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं है यह जीवन का एक माध्यम है। रात रातभर मैं इसलिये जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। अपने भाग्य के बजाये अपनी मजबूती पर विश्वास करो। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है, जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अन्तर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाये। मैं तो जीवन भर कार्य कर चुका हूँ अब इसके लिए नौजवान आगे आएं। अच्छा दिखने के लिए मत जियो बल्कि अच्छा बनने के लिए जिओ। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। लोकतंत्र सरकार का महज एक रूप नहीं है। एक इतिहासकार, सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। इस दुनिया में महान प्रयासों से प्राप्त किया गया को छोड़कर और कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। ज्ञान व्यक्ति के जीवन का आधार है। शिक्षा जितनी पुरूषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए भी। शिक्षा शेरनी का वो दुध है जो पीयेगा वो गुर्रायेगा।

स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करते समय डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि पिछड़े वर्ग को अन्य वर्गों की बराबरी में लाने की भावना का देश के राजनेता धज्जियाँ उड़ाकर सत्ता प्राप्ति का माध्यम आरक्षण को बना लेंगे। हमारे देश के राजनेताओं ने तो इतनी होशियारी दिखाई कि आरक्षण को संवैधानिक रूप से समाप्त करने के बजाए, अपनी–अपनी सरकारों को चलते रहने के लिए डॉ० भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाये गये आरक्षण

प्रावधानों को पार्टी की बहुमत के बल पर आरक्षण की समय सीमा बढ़ाते गये।

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में देश के पिछड़े वर्ग को अन्य वर्गों की बराबरी में लाने के लिए सिर्फ पन्द्रह वर्षों की समय सीमा लागू की थी। इसका अर्थ यह हुआ कि 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए संविधान में आरक्षण का प्रावधान सिर्फ 26 जनवरी, 1965 तक के लिए ही किया गया था। ऐसी स्थिति में 26 जनवरी, 1965 के बाद देश से संवैधानिक रूप से आरक्षण का प्रावधान समाप्त हो जाना चाहिए था।

आजादी के कुछ ही वर्षों बाद राजनीतिक पार्टियों के लिए आरक्षण सत्ता प्राप्ति का मुख्य माध्यम बन गया और आरक्षण वोट की राजनीति के दायरे में आ गया। अब तो स्थिति यह हो गई है कि राज्यों में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की स्पर्धा शुरू हो गई है। अब तो राज्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आरक्षण की सीमा को लेकर मची राजनीतिक खींचतान से सर्वोच्च न्यायालय भी परेशान हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में 29 जनवरी,1992 को फैसला दिया था कि आरक्षण की सीमा पचास फीसदी तक ही रखी जाय। लेकिन सत्ता लोलुपता के लोभ ने राजनीतिक दलों को आरक्षण संबंधी करीबन तीन दशक पूर्व के इस फैसले को पुराना और मौजूदा स्थिति के अनुकूल नही मानते हुए, आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

केन्द्र सरकार आरक्षण संबंधित मसलों पर विचार के लिए दो बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर चुकी है। पहला आयोग 1953 में काका केलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस आयोग ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों की संख्या 2399 बताई थी। केन्द्र सरकार ने 1961 में इस

आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। बाद में दूसरा आयोग का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में 1979 में किया गया था, इस आयोग ने लगभग 3743 जातियों की पहचान कर के उन्हें पिछड़ा घोषित किया था और इस आयोग ने ओबीसी के लिए अलग से 26 फीसदी कोटा तय किया था। किन्तु इस आयोग की सिफारिशों पर तात्कालिक सरकार ने कोई विशेष ध्यान नही दिया। जबकि मंडल आयोग सबसे अधिक चर्चाओं में भी रहा, इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी मामले का फैसला सर्वाधिक सर्वमान्य रहा। यह फैसला आज भी देश में लागू है।

वर्तमान में सत्ताभोगी राजनीतिक वंशजों में संतुष्टि नहीं है और इस फैसले को मौजूदा हालतों में गया–गुजरा (आउट ऑफ डेट) बताकर सर्वोच्च न्यायालय से आरक्षण की इस सीमा को बढ़ाने की माँग करते रहे हैं। अब यहाँ एक गंभीर सवाल यह उठता है कि आरक्षण के माध्यम से सत्ता की कुर्सी तक पहुँचने का प्रयास करने वाले सामान्य वर्ग के राजनेताओं ने कभी देश के उस मतदाताओं की चिंता नहीं की, जो आरक्षण की सीमा से बाहर है अर्थात् सामान्य वर्ग (जनरल कोटे) में है।

देश की गंभीर समस्या, अब बेरोजगारी हो गई है और इस समस्या का भी हमारे राजनेता चुनाव के समय, लाखों या करोड़ों में नौकरी देने का झाँसा देकर, सामान्य वर्ग के मतदाताओं का वोट, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देश के आरक्षण कोटा की वजह से लोग अब अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इसका मूल कारण गैर आरक्षित वर्ग के होने के कारण, न तो उनके पढ़े–लिखे होनहार बच्चों को नौकरी मिल पा रही है और न ही इस बढ़ती महंगाई के दौर में वह अपना जीवन यापन ठीक से कर पा रहे हैं।

दुखद बात यह है कि आज के राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओं की सत्ता प्राप्ति की भूख, भूखे–नंगे गैर आरक्षित वर्ग के सदस्यों से भी अधिक बढ़ती जा रही है। देश की इस स्थिति का सर्वोच्च न्यायालय को भी भान है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी आरक्षण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करता रहा है।

6 दिसम्बर, 1956 को बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेदकर का महापरिनिर्वाण हो गया।

पिछड़ी जाति के मसीहा और भारतीय संविधान के निर्माता युग पुरूष बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर को 14 अप्रैल, 1990 को मरणोपरान्त भारत सरकार ने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न, राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, से सम्मानित किया था और उनके एक विशाल चित्र का संसद के केन्द्रीय कक्ष में अनावरण भी किया था।

❐

जलियांवाला बाग हत्याकांड : गांधी जी ने कहा था ब्रिटिश राज का, सबसे काला अध्याय

✍ जितेन्द्र कुमार सिन्हा
पूर्व अध्यक्ष
बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन

13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में एक भयंकर और दिल दहला देने वाला नरसंहार हुआ था। उस दिन बैसाखी का त्योहार था, हजारों लोग पुरुष, महिलाएं और बच्चे वहां एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, जो रोलेट एक्ट के खिलाफ थी।

ब्रिटिश जनरल डायर ने उस भीड़ को बिना किसी चेतावनी के घेर लिया था और सैनिकों को आदेश दिया था कि वे भीड़ पर सीधे गोली चलाएं। वहाँ मौजूद लोगों के पास न तो भागने का रास्ता था और न ही कोई बचाव का जरिया। लगभग 379 लोगों की मौत हुई और हजारों घायल हुए, हालांकि असली संख्या इससे कहीं अधिक मानी जाती है। यह घटना पूरे देश में रोष और दुःख का कारण बनी। गांधी जी ने इसे "ब्रिटिश राज का, सबसे काला अध्याय" कहा था।

इस हत्याकांड के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने लगी और भारतीयों में आक्रोश बढ़ने लगा। भारतीयों में आक्रोश को बढ़ता देख उसे शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। उनका इरादा था कि पैसों के बल पर लोगों के दुःख को कम किया जा सके और राज के खिलाफ गुस्सा शांत हो सके। लेकिन हर कोई इस लालच में नहीं आया। दो बहादुर महिलाओं ने साफ इनकार कर दिया। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने मुआवजे के तौर पर कुछ महिलाओं को पैसे देने की कोशिश की, जिनके पति या बेटे मारे गए थे, तो दो बहादुर महिलाओं ने साफ मना कर दिया। मना करनेवालों में से एक ने कहा कि "हम अपने बेटे का खून बेचने नहीं आए हैं। अंग्रेजों के पैसे से हमारा दुःख कम नहीं होगा।" वहीं दूसरी ने कहा कि

"जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया, उससे मदद लेना हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है।"

दोनों महिलाओं ने जो किया, वह केवल विरोध नहीं था, बल्कि वह अपने आत्मसम्मान और देशभक्ति का प्रतीक था। उन्होंने यह दिखा दिया था कि भारत की जनता सिर्फ गुलाम नहीं थी, बल्कि स्वाभिमानी और जज्बे से भरी हुई थी।

जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ था और उन दो महिलाओं का मुआवजा ठुकराना, इस बात का सबूत था कि आजादी सिर्फ जमीन या सरकार से नहीं थी, बल्कि आत्मा और सम्मान से जुड़ी थी। अंग्रेजों ने गोली चलाई, लेकिन उन्होंने भारतीयों के जज्बे को नहीं मार पाया था। ❐

8 साल जॉब करने के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया : गुरुदयाल सिंह, पूर्व अध्यक्ष, 'पंजाबी बिरादरी', पटना

मेरा जन्म पंजाब के गुरुदासपुर में हुआ। वहां से पापा जी बिहार चले आये फिर मैं बिहार में ही पढ़ा–लिखा और बड़ा हुआ। स्कूल से ही मुझे कविता–कहानी लिखने का शौक था। पहले मैंने कवितायेँ लिखनी शुरू की जो पत्र–पत्रिकाओं में छपी भीं। गोलघर के पास एक प्राइमरी स्कूल से पास करने के बाद पी.एन. एंग्लो स्कूल से मैट्रिक करने के बाद साइंस में ग्रेजुएशन कॉमर्स कॉलेज से किया। जब शादी की बात चली तो मेरे मामा जी चाहते थें कि पड़ोस की भिखना पहाड़ी की गुरजीत से मेरी शादी हो। मुझे भी लड़की बहुत पसंद थी। गोरी–चिट्टी, काली–काली आँखों वाली। कहीं ना नुकुर की गुंजाईश नहीं थी। परन्तु हमारे फूफा जी जो थोड़े दबंग थे बोले दृ 'सियालकोटियों के साथ संबंध नहीं बनाना है।' उन्होंने दूसरी लड़की परमजीत के बारे में मेरी बीजी और पापा जी से बातचीत की। पापा जी, मामा जी नहीं मान रहे थें क्यूंकि जुबान दे चुके थें परन्तु बीजी के समझाने से मान गएँ। मुझे भी बहुत समझाया गया कि 'खानदान पढ़ा–लिखा है, लड़की तुम्हारे लायक पढ़ी–लिखी है, सुशिल है, सुन्दर है।' मैंने भी मन मसोस कर हामी भर दी। रिश्ते से पहले मैंने उसे देखा तक नहीं था। परन्तु बीजी के कहने पर कि बिल्कुल बैजन्तीमाला लगती है, फोटो देखकर मैंने भी हाँ कर दी। रिश्ता तो पक्का हो गया परन्तु शादी तीन साल बाद करना तय हुआ क्यूंकि हम दोनों तब पढ़ ही रहे थें। हम एक दूसरे से बातें भी नहीं कर सकते थें, टेलीफोन की सुविधा जो नहीं थी। पर मन तो बहुत करता था एक दूसरे को देखने का– बात करने का, लेकिन अंदर–ही–अंदर एक डर भी था, कहीं उसके मन में हमारे प्रति कोई गलत भावना ना बन जाये और हम जुदा हो जाएँ। इसी डर से कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता था। एक दूसरे को दूर से देखकर मन ही मन खुश हो जाते। मुस्कुराना भी अपराध लगता था। हमदोनो की छोटी बहनें बलविंदर, मंजीत एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और प्रायः दोनों का एक दूसरे के घर आना–जाना होता था। मैं कभी–कभी कुछ कविता लिखकर भेज देता परन्तु उत्तर की सम्भावना नहीं थी। ऐसे ही हमदोनो का मूक प्रेम परवान चढ़ रहा था। कभी–कभी कॉलेज जाते हुए बस की लाइन में खड़ी सखियों संग उनको देखता तो फिर सारा दिन बड़े आनंद से उनकी याद में गुजरता। इसी तरह दिन बीतते गए और एक दिन हम दोनों शादी के बंधन में बंधकर एक दूजे के हो गएँ।

कॉलेज से आने के बाद पापा जी के काम को संभालना मेरा काम था। रात कभी–कभी देर भी हो जाती। एक रात मैं थोड़ी देर से आया तो पत्नी ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। मैं अपनी सफाई देता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजा इस शर्त पर खुला कि अब रोज घर जल्दी आना होगा। वे कहती दृ 'मैं किससे मन की बात करूँ, आप सारा दिन बाहर रहते हैं मेरा भी तो दिल है।' यह उनका प्यार बोल रहा था, हम दोनों में बहुत प्रेम था।

इसी तरह कुछ महीने बीतने के बाद अचानक एक दिन सास–ससुर जी आएं और पत्नी को एक महीने के लिए ले जाने का प्रोग्राम बनाने लगें। मुझे तो काठ मार गया। जब एक दिन भी अलग रहना मुश्किल है और ये तो एक महीने की बात कर रहे हैं ! मैंने तो ना कर दी लेकिन बीजी–पापा जी के समझाने पर कि 'पहले सावन में लड़कियां अपने मायके ही रहती हैं और अपनी सास का मुंह नहीं देखती हैं।' मैंने पत्नी को भरे मन से भेज दिया। मगर मेरा मन उदास रहने लगा और मुझे बुखार हो गया। इसकी खबर जब पत्नी को लगी झटपट आरा मशीन पर ही मुझको मिलने आ गयीं। तब एक दूसरे को देखकर दोनों

रोने लगें, आलिंगन में बंध गएँ। मेरा बुखार भी उतर गया।

ग्रेजुएशन करने के बाद मैं गुलजारबाग, पटना पॉलिटेक्निक में चला गया जहाँ से डिप्लोमा कोर्स करने के बाद मुझे यू.पी. मुरादाबाद से ऑफर मिल गया। पहले नौकरी के लिए 6 महीने अप्रेंटिशिप करनी जरूरी होती थी। 1968 में मैंने वहां ज्वाइन किया। वहां उन्होंने पूछा– 'आपको क्या करना है?' मैंने कहा– 'मुझे लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है लेकिन अभी मुझे दो–चार साल सर्विस करनी है।' फिर हमारे काम से वो खुश होकर बोले कि आप हमारे यहाँ ही जॉब कर लीजिये। मुझे जॉब मिला लेकिन सैलरी बहुत कम थी, 240 रूपए महीना। वहां तीन शिफ्ट में काम होता था। सुबह 8 से 4, 4 से 12 और 12 से 8 और मुझे बना दिया गया शिफ्ट इंचार्ज। मेरी ड्यूटी रहती रात के 10 से सुबह 6 बजे तक। लगातार नाईट ड्यूटी करते हुए एकाध महीने में ही मेरा मन भर गया। दिन में ठीक से नहीं सो पाने के कारण मेरा स्वास्थ गिरने लगा। तब मैंने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया और छुट्टी लेकर पटना चला आया पत्नी और पापा जी से बात करने। मगर घर में जितने भी लोग थें सभी ने यही समझाया कि 'आपको नौकरी नहीं छोड़नी है। नौकरी छोड़ेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी।' पत्नी ने भी समझाया 'नौकरी जल्दी मिलती नहीं है, आप भाग्यशाली हैं कि आपको अप्रेंटिशिप पूरी करते ही वहीँ नौकरी मिल गयी वरना लोग तो कितने साल पास करके बैठे रहते हैं।' अब चूँकि एक बच्ची का लालन–पालन भी करना था इसलिए नौकरी ना छोड़ने तथा स्वयं साथ–साथ रहने के लिए पत्नी ने मुझे मनाया। कुछ दिनों बाद मैं पत्नी और बिटिया को साथ लेकर पुनः अपने काम पर मुरादाबाद लौट आया। परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए मेरी पत्नी ने वहां एक गर्ल्स हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। बिटिया साथ के क्वाटरों की बच्चियों के साथ खेलती रहती थी इसलिए उन्हें नौकरी करने में कोई परेशानी नहीं हुई। परिवार की आमदनी अब दोगुनी हो गयी। परन्तु स्कूल मैनेजमेंट द्वारा इनका बी.एड. नहीं होने से ग्रेड से वंचित रखा गया इसलिए तनख्वाह भी कम मिलती थी। तब पत्नी ने बी.एड. करने की इच्छा जाहिर की, मैंने इजाजत दे दी। उस समय मेरा बेटा पत्नी के पेट में पल रहा था। फिर भी हिम्मत करके उसने पटना में अपना नाम लिखवाया और बी.एड. कम्प्लीट करके एक–डेढ़ साल बाद यू.पी. हमारे पास दोनों बच्चों के साथ लौट आयीं। धीरे–धीरे मुझे भी यहाँ तीन साल हो गएँ। मैंने ऑफिस के लोगों से पूछा 'तुम कबसे काम कर रहे हो?' एक ने कहा 20 साल से काम कर रहा हूँ तो एक बोला 40 साल से कर रहा हूँ। मैं सोचता, ये 20 –40 साल से काम कर रहे हैं फिर भी पैसों का आभाव है, इनकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं है। सुबह फैक्ट्री जाना है और शाम को थक–हार के घर आना है बस यही दिनचर्या थी। जब मैं बाहर लोगों से मिलने निकलता तो देखता कि हमारे जो पंजाबी समुदाय के लोग हैं वह छोटी–छोटी लकड़ी, किताबों और साईकल आदि की गुमटीनुमा दुकाने चला रहे हैं। उनके यहाँ जब कोई फंक्शन होता वे लोग मुझे अपने घर बुलाते थें। सभी कहते कि पटना से जो ऑफिसर आया है उसको बुलाओ। तो जब मैं उनके यहाँ जाता था तो देखता कि उनके तीन–चार तल्ले के बड़े–बड़े मकान हैं और घर में सबकुछ है। मतलब छोटे से बिजनेस से ही वो खुशहाल थें। तब मेरे मन ने कहा कि जो 40 साल से जॉब कर रहा है वो वैसे का वैसा ही है और जो छोटा–मोटा खुद का बिजनेस कर रहा है वह कितना आगे बढ़ गया। फिर मैंने पत्नी को समझाया कि बिजनेस करना है इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। पत्नी समझाती कि 'सर्विस मत छोड़िये। फिर हाँ–ना करते–करते करीब 8 साल निकल गए। तब एक दिन मैंने फाइनली डिसीजन लिया और वापस अकेला ही छुट्टी लेकर पटना आ गया। मैंने अपने काम के लिए बैंक से लोन लेकर बहादुरपुर गुमटी के पास लेथ मशीन, बेल्डिंग आदि लगाकर काम शुरू कर दिया। मैं अपनी छुट्टी कोई बहाना बनाकर बढ़ाता रहा क्यूंकि रिस्क नहीं लेना चाहता था। उधर पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं काम में सफलता पा लूंगा। लेकिन पत्नी के त्याग और वाहेगुरु के आशीर्वाद से काम चल निकला। मैंने अपना रिजिगनेशन भेज दिया और एक साल बाद पत्नी भी स्कूल से रिजाइन करके वापस लौट आयी। उस समय गंगा ब्रिज बनना शुरू हुआ था, उसका बहुत सा काम लेबर रेट पर ही आने लगा। फिर मैं सुबह से लेकर रात के 18–18 घंटे काम करता। जब तीन–तीन बेटियों की जिम्मेवारी की चिंता बढ़ने लगी तो पत्नी ने किसी स्कूल में टीचर की सर्विस करने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया कि अब बच्चों को भी संभालना है, उन्हें पढ़ाना– लिखाना है इसलिए सोच – विचारकर घर में ही 'महिला सिलाई कटाई केंद्र' खुल गया। कुछ दिनों बाद मुझे फैक्ट्री के लिए अपनी जगह होना जरूरी लगने लगा। खोज–बिन के बाद एक मित्र के सहयोग से गंगा ब्रिज के पास पौने चार कट्ठा जमीन खरीद लिया। फिर वहां पत्नी के नाम 1982 में पटना कैलिवेटर्स खोल दी।

मेरी पत्नी परमजीत जी अब हमारे बीच नहीं हैं लेकिन मुझे लगता है मेरी पत्नी लक्ष्मी थी, उसके भाग्य से मेरा काम चल निकला और टैंकर बनाने का ऑर्डर नेपाल से भी आने लगा। मगर दो सालों बाद ही 1984 में इंदिरा गाँधी की हत्या होने पर हमारा बहुत नुकसान हुआ। बहुत सा सामान लोग लूट ले गए। पर वाहेगुरु की कृपा से हमारा काम फिर से और पहले से भी अधिक चलने लगा।

मैं न्यू जेनरेशन को यही सन्देश देना चाहूंगा की 'आप कोई भी काम करें लेकिन पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी। यहाँ असम्भव कुछ भी नहीं है। आप अपनी लगन एवं मेहनत से अपनी बुलंदी की ईमारत खड़ी कर सकते हैं।' ❐

प्रस्तुति : राकेश सिंह 'सोनू'

सतुआन पर्व का महत्व

मेष संक्रांति के अवसर पर सतुआन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करता है। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में इसे सतुआन के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में इस पर्व का आयोजन किया जाता है। इस दिन सत्तू को श्रद्धा पूर्वक इष्ट देवता को अर्पित किया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है।

14 अप्रैल को उत्तर भारत, खासकर बिहार, झारखंड, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सतुआन का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व चौत्र नवरात्रि के समापन के अगले दिन, चौत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है और इसे गर्मी के मौसम की शुरुआत के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। सतुआन, जिसे सत्तू पर्व भी कहा जाता है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक आस्था और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है।

गर्मी की शुरुआत का संकेत

सतुआन पर्व यह दर्शाता है कि अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। इस दिन से ही सत्तू, आम का पन्ना, बेल का शरबत, और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन प्रारंभ किया जाता है ताकि शरीर को शीतलता मिल सके।

सतुआन के दिन से मांगलिक कार्य जैसे शादी–विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुरू हो जाते हैं। इसे अत्यंत शुभ दिन माना जाता है क्योंकि चौत्र नवरात्रि की समाप्ति के बाद यह पहला शुभ दिन होता है।

इस दिन सत्तू (चने का आटा), कच्चा आम, गुड़, दही, चना, और नीम के पत्तों का सेवन विशेष रूप से किया जाता है। ये सभी चीजें शरीर को गर्मी से लड़ने में मदद करती हैं और सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं।

महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और अपने परिवार की सुख–शांति तथा समृद्धि की कामना करती हैं। सूर्यदेव और अन्य ग्राम देवताओं की पूजा की जाती है। गांवों में लोग तालाब या नदी में स्नान कर पवित्रता प्राप्त करते हैं।

इस दिन लोग सत्तू (भुने चने का आटा), गुड़, कच्चा आम, जलजीरा, बेल का शरबत और दही–चावल खाते हैं। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है।

श्रद्धालु इस दिन गंगा या नजदीकी नदी में स्नान कर दान–पुण्य करते हैं। सत्तू, गुड़, ककड़ी, खरबूजा, चना आदि का दान करना पुण्यकारी माना जाता है।

गांवों में महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। यह पर्व मेलजोल और सामाजिक समरसता का प्रतीक है।

धार्मिक दृष्टिकोण से मान्यता है कि इस दिन सूर्य की पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में सुख–शांति बनी रहती है।

❐

भूमि माँ समान

✍ गोवर्धन दास बिन्नाणी 'राजा बाबू'
जय नारायण व्यास कॉलोनी,
बीकानेर, राजस्थान

हर बार गर्मी के मौसम में शाम को जब धूप की तपस कम होने लगती है तब हम कुछ अवकाश प्राप्त दोस्त पार्क में बैठ राजनीति वाले विषय से हट किसी भी प्रकार के अन्य विषय पर आपस में चर्चा कर लेते हैं।

एक शाम हम कुछ दोस्त पार्क में बैठ गपशप कर रहे थे, जहाँ पार्क के बीच बच्चे खेल भी रहे थे। इसी बीच मेरा पोता अपने कुछ दोस्तों के साथ आकर मुझ से कहा कि दादाजी आज यह जमीन अभी तक गर्म हवा ही फेंक रही है, तभी बीच में उन्हीं बच्चों में से एक ने कह दिया कि इससे अच्छा तो यह जमीन न होती।

इतना सुनने के बाद वहाँ उपस्थित सभी बच्चों को मैंने समझाते हुये कहा– चूँकि हम धरा को माता मानते हैं इसलिये तुमलोगों का यह प्रश्न अगर भूमि नहीं होती बेईमानी वाला माना जायेगा क्योंकि यदि धरती न होती तो हम होते ही नहीं फिर यह सब बातें उठती ही नहीं। इसलिये आज हम जो कुछ भी हैं वह एक उस माता की कृपा से हैं जिसने अनेकों कष्ट सहन कर हमें जन्म दिया, और दूसरी यह धरती माता है जो हमें बाकी सब कुछ अर्थात सभी कुछ दे रही है। जबकि हम इस धरती माता के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हैं अर्थात सभी मिलकर ऐसा दोहन कर रहे हैं जिससे संतुलन बिगड़ रहा है जो किसी भी हालात में शोभनीय नहीं माना जा सकता।

इसलिये आवश्यकता यह सोचने की है कि हमारी क्या हालत होती अगर भूमि न होती तो। इसलिये अभी भी समय है कि हम अपनी आवश्यकताओं पर अंकुश लगा के रखें ताकि यह धरा हरी भरी रहे और यह स्वतः जो हमें दे उसी पर सन्तोष करना सीखें।

इसके साथ उपरोक्त तथ्य को हम ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें, सभी को प्रेरित भी करें ताकि अपनी धरती माता के प्रति हम सब अपना दायित्व समझें ही नहीं बल्कि उन दायित्वों का स्वयं तो पालन करें ही औरों से भी करवायें।

ध्यान रखें सामूहिक प्रयास का नतीजा हमेशा न केवल सुखदायी होता है बल्कि लम्बे समय तक प्रभावी भी रहता है। ❐

जनधन योजना में वृद्धि प्रधानमंत्री की अवधारणा से हुई

✍ डॉ. बी.आर. नलवाया
पूर्व प्राध्यापक, वाणिज्य
शा.कन्या महाविद्यालय, मंदसौर, मध्य प्रदेश

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) देश ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों से सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल की गई, एक मिशाल योजना बन कर उभरी है। वित्तीय समावेश के उद्देश्य से दस वर्ष पूर्व 28 अगस्त, 2014 को इस योजना की शुरूआत की गई थी। योजना गरीबों को आर्थिक मुख्य धारा में लाने के विकास की महत्ती भूमिका में अग्रसर हुई। योजना की 10 वीं वर्षगांठ पर केन्द्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि बैंक खाते, छोटी बचत योजनाओं, बीमा और कर्ज सहित सार्वभौमिक और सस्ती वित्तीय सेवाऐं प्रदान करके योजना ने पिछले एक दशक में देश के बैंकिंग और वित्तीय परिदृश्य को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने देश में वित्तीय समावेशन की क्रांति ला दी है। इस क्रांति का यह आशय है कि योजना के तहत खुले खातों की संख्या 53 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। यह आंकड़ा कई देशों की कुल आबादी से भी अधिक है।

इस योजना का मुख्य लाभ यह है कि जो अधिकांश गरीबों को बैंकिंग की व्यवस्था से दूरी थी, वह बिल्कुल खत्म इसलिए हो गई कि बिना किसी राशि के खाते खुलवाने की सुविधा प्रदान की गई। इसलिए एक दशक में 53 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुल चुके हैं। स्मरण रहे जब यह योजना शुरू की गई थी तब ऐसे सवाल उठे थें, कि आखिर जनधन खातों में पैसा कहाँ से आएगा ? आंकड़े बता रहें है कि 31 मार्च, 2015 तक योजना के तहत 14.72 करोड़ खाते खोले गए थे, जिनकी संख्या 30 अगस्त, 2024 तक 53 करोड़ हो चुकी है। तब इन खातों में सिर्फ 15,670 करोड़ रु. जमा थे, 28 अगस्त 2024 तक 2.3 लाख करोड़ रू. जमा हो गए। इस तरह मार्च, 2015 में प्रति खाता औसत शेष 1065 रु. था। अब यह बढ़कर 4,325 रु. का हो गया है। मौजूदा कारोबारी वर्ष में

3 करोड़ से ज्यादा खाते खोलने का लक्ष्य है।

योजना के दूसरी ओर देखें, लगभग 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। इसमें करीब 67 प्रतिशत जनधन खाते गांवो और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह योजना अंतिम छोर पर खड़े वंचित लोगों तक पहुंची है। योजना में खाता धारकों को डिजिटल भुगतान के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। खातों के संचालन के लिए डेबिट कार्ड जारी किए गए। इस वर्ष 16 अगस्त तक कुल 53 करोड़ खाताधारियों में से 33.98 करोड़ से अधिक खाताधारियों को रूपयें डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 10,000 रु. तक का ओवर ड्राफ्ट, दो लाख रूपये का दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाऐं भी मिलती हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि खाता जीरो बैलेंस खाता है। मतलब यह, इस खाते में न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं होती है।

बचत खाते में न्यूनतम बैलंस नहीं रखे जाने पर अब भी कई बैंक खाताधारकों से जुर्माना वसूल रहे हैं। आरबीआई ने बताया कि पिछले पांच वर्षो में न्यूनतम बैलेंस कम होने पर बैंकों ने खाता धारकों से 18,000 करोड़ की वसूली की। वैसे आरबीआई के आदेश पर बैंक खाते में न्यूनतम निर्धारित बैलेंस नहीं होने पर कुछ शुल्क लेते थे, वहीं दूसरी और एसबीआई ने ऐसा शुल्क लेना बंद कर दिया है। देखा जाए तो देशभर में इस प्रकार के 70 करोड़ खाते हैं जो जनधन योजना से अधिक है। जुर्माना वसूल करने वाले बैंक से लोग हटते हुए देखे जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने उद्‌बोधन में जनधन योजना के बारे में जनता को अपने मन की कई बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने कारण वे एक रूपया भी नहीं बचा पाते थे, जिसके चलते उनका बैंक खाते में कई सालों तक एक रूपया भी नहीं रहा था। मोदीजी ने बैंक को होने वाली परेशानी को महसूस करते हुए खुद ही अकाउंट बंद कर दिया। अब उन्होंने खाते खोलने पर जोर दिया है। अब जनधन खाता धारक बैंक से उधार लेने के साथ अन्य सुविधाऐं भी हासिल कर सकते हैं। मोदी सरकार के पहले किसी ने भी यह नहीं सोचा कि गरीबों को भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है। इसके कारण करोड़ों लोग आर्थिक मुख्यधारा से बाहर थे। यह तो निश्चित है कि कोई भी देश अपने बलबूते समर्थ तभी बन पाता है जब उसका प्रत्येक नागरिक आर्थिक विकास की मुख्यधारा और वित्तीय गतिविधियों से जुड़ता है। इस योजना से यह तथ्य स्पष्ट है कि देश की आर्थिक प्रगति में सभी का योगदान है। देश की केन्द्र व राज्य सरकारों को जन कल्याणकारी कार्यो को करने हेतु आर्थिक रूप से गरीब जनता की ओर ध्यान देना होगा। इससे बचत को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ऋण की पहुंच आसान होगी। देश में सरकारी योजनाएँ भ्रष्ट तत्वों की लूटपाट से बचाने के लिए बैंकिंग के विकास से योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में भेजना आसान नहीं था, वहीं मोदी सरकार ने हर स्तर पर जवाबदारी सुनिश्चित करके इस असंभव लक्ष्य को हासिल किया।

❐

अमेरिका, टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। जहां मंदिर प्रांगण में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा के बीच वहां के हिंदू समुदाय ने लाइव हनुमान चालीसा का पाठ भी किया।

❐

भगवान पार्श्वनाथ करुणावतार तो थे ही वे कर्मावतार भी थे

✍ संदीप सृजन
संपादक–शाश्वत सृजन
ए–99 वी.डी.मार्केट, उज्जैन–456006

सनातन धर्म की पावन गंगोत्री से निकले विभिन्न धर्मों में जैन धर्म भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म है। चौबीस तीर्थकंरों की समृद्ध जनकल्याण की परम्परा, जो वर्तमान अवसर्पिणी काल में ऋषभदेव से लेकर महावीर तक पहुंची, उसमें हर तीर्थंकर ने अपने समय में जिन धर्म की परम्परा को और आत्मकल्याण के मार्ग को समृद्ध किया है तथा संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया है।

काल के प्रवाह में ऐसा होता आया है कि एक महापुरुष के निर्वाण के बाद उसका प्रभाव तब तक ही विशेष रूप से जन सामान्य में रहता है जब तक की उसके समान कोई अन्य महापुरुष धरती पर अवतरित न हो। लेकिन कुछ महापुरुष इसका अपवाद होते हैं। जैन धर्म के चौबीस तीर्थंकरों में 23 वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के बाद भगवान महावीर हुए लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के प्रभाव में कोई कमी आज तक नहीं आई है। जैन मान्यताओं के अनुसार वर्तमान में भगवान महावीर का शासन चल रहा है लेकिन सर्वाधिक जैन प्रतिमाएँ आज भी केवल भगवान पार्श्वनाथ की ही हैं। जैन मंत्र साधनाओं में भी सर्वाधिक महत्व पार्श्वनाथ के नाम को ही दिया जाता है।

भगवान पार्श्वनाथ का जन्म भगवान महावीर के जन्म से 350 वर्ष पहले हुआ। सौ वर्ष की आयु उनकी रही तदानुसार लगभग तीन हजार वर्ष पहले वाराणसी के महाराजा अश्वसेन के यहां माता वामा देवी की कुक्षी से पोष कृष्ण दशमी को हुआ। राजसी वैभव के बावजूद आत्मा में असीम करुणा का भाव जो सांसारिक जीवन में उनको लोकप्रिय बना देता है। वे उस दौर के तमाम आडम्बरों के बीच एक कमल पुष्प थें। धर्म और समाज में फैली हिंसा और कुरीतियों के बीच एक धर्म पुरोधा थें। जो मनुष्य समाज में मनुष्यता के गुण, करुणा, दया, अहिंसा के जीवन की

प्रतिस्थापना करने को आए थे।

जैन धर्म ग्रंथो में एक प्रसंग आता है– जब भगवान पार्श्वनाथ मात्र उम्र सोलह वर्ष थे तब वाराणसी नगरी में एक तापस आया जो नगर के मध्य अग्नी तप कर रहा था। और सारा नगर उस तापस के इस हठ योग से प्रभावित हो कर उसके दर्शन के लिए जा रहा था। ऐसे में लोक व्यवहार अनुसार पार्श्वकुमार भी वहां पहुंचे। तभी उन्होने अपने ज्ञान से देखा की तापस ने जो लकड़ी अपने सामने जला रखी है उसमें नाग नागिन का जोड़ा है, और वो जल रहा है। पार्श्वकुमार ने तापस से कहा कि– योगी आपके इस हठ योग में जीवों की हिंसा हो रही है। इस पर तापस क्रोधित हो गया और अशिष्ठ भाषा का प्रयोग पार्श्वकुमार के प्रति किया। तभी पार्श्वकुमार ने अपने कर्मचारी को आदेश देते हुए काष्ठ के उस टुकड़े को आग से निकालकर उसे चीरने को कहा, जैसे ही कर्मचारी ने लकड़ी को चीरा उसमें से जलता हुआ नाग नागिन का जोड़ा निकला जो मरणासन स्थिती में पहुँच चुका था। पार्श्वकुमार ने जलते नाग नागिन के प्रति अपनी करुणा बरसाते हुए उनको नमस्कार महामंत्र सुनाया और बोध दिया कि वैर भाव को त्याग करे और समाधी मरण का वरण करे। पार्श्वकुमार की वाणी उस समय उस सर्प युगल के लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। क्योंकि कहा जाता है 'अंत मति सो गति'। पार्श्वकुमार के वचनों से उनके मन से वैर भाव खत्म हुआ और वे समाधी मरण को प्राप्त कर देव लोक में धरणेन्द्र और पद्मावती नाम से इन्द्र और इन्द्राणी बने। जो की भगवान पार्श्वनाथ के जीवन काल में हर समय उनके साथ रहे और माना जाता है कि आज भी भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करने वाले के साथ रहते हैं।

भगवान पार्श्वनाथ करुणावतार तो थे ही वे कर्मावतार भी थे। उन्होने अपने सत्तर साल के दीक्षा पर्याय में कभी किसी से सहायता की याचना नहीं की, अपने तपोबल के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष को गये। भगवान पार्श्वनाथ कर्मकांड और आडम्बर को धर्म नहीं मानते थे। वे जीवंत धर्म को ही धर्म मानने और उसकी प्रतिस्थापना करने के लिए धरा पर आए थे। उन्होंने करुणा, दया, परोपकार और जगत कल्याण के कार्यों को धर्म बताया और उसी तरफ जगत के जीवों के ले जाने के लिए उपदेश दिया। भगवान पार्श्वनाथ का जन्मकल्याणक मनाते हुए हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। ❐

शादी कब होगी ?

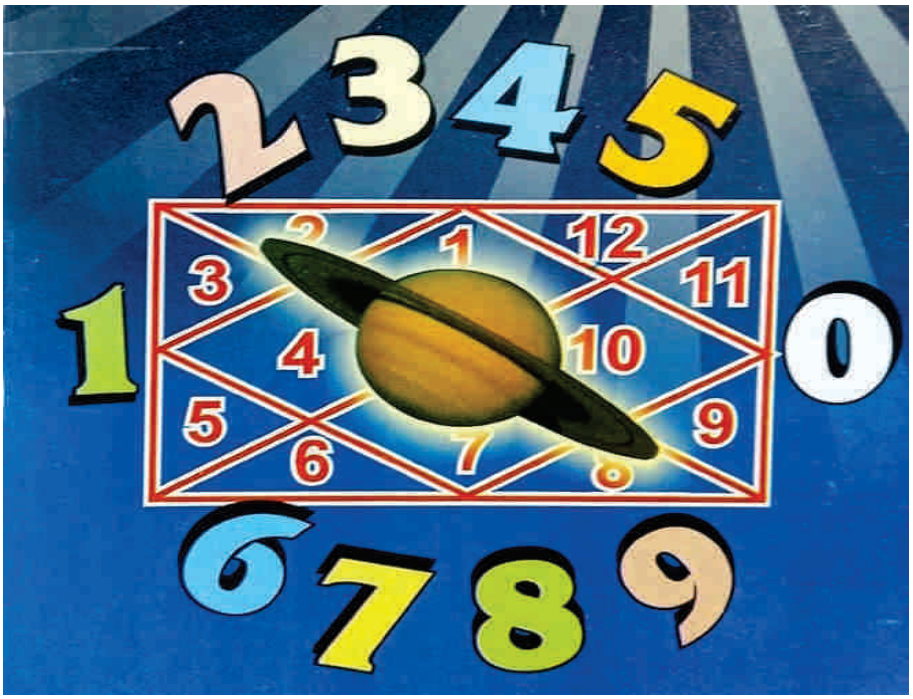

✍ उमेश उपाध्याय
आध्यात्मिक एवं ज्योतिष विशेषज्ञ
संपर्क: 9709378488

प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि शादी कब होगी? इसलिए हम इस बार अंक ज्योतिष के अनुसार शादी का समय निकालने हेतु चर्चा करने जा रहे हैं।

विवाह का समय, जन्म की तारीख, माह एवं वर्ष के आधार पर मूलांक के अनुसार गणना की जाती है।

मान लिया जाय कि किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख 10 अक्टूबर 1972 है। इस व्यक्ति का जन्मतिथि मूलांक 10 = 1+0 = 1 होगा।

अब जन्मतिथि एवं माह का योग निकालेंगे। 10 अक्टूबर यानी 10+10 = 20

20 = 2+0 = 2 होगा।

विवाह का वर्ष निकालने के लिए अब जन्मतिथि मूलांक एवं वर्ष मूलांक की सारणी के आधार पर विवाह का वर्ष निकालेंगे। सारणी निम्नवत है–

मूलांक	वर्ष मूलांक
1	1,4,5,7,9
2	1,2,5,6,8
3	3,6,7,9
4	1,2,4,7,8
5	2,3,5,7,9
6	1,2,3,5,6,9
7	1,2,4,8
8	1,2,4,6,8
9	1,2,3,6,7

अब जिस वर्ष में शादी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है उस वर्ष का भी मूलांक निकालेंगे।

मान लिया जाए मुझे 1992 में उक्त व्यक्ति के शादी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि इस वर्ष उनकी शादी होगी कि नहीं!

अब हम उक्त व्यक्ति के जन्मतिथि, माह एवं 1992 का योग करके मूलांक निकालेंगे जो इस प्रकार है।

10 अक्टूबर 1992

10+10+1992 =

जन्मतिथि 10 = 1+0 = 1

जन्म माह 10 = 1+0 =1

विवाह का वर्ष 1992 =

1+9+9+2 = 21 =

2+1= 3

कुलयोग 5

अब उपयुक्त सारणी से ज्ञात होगा की जन्मतिथि मूलांक 1 के लिये वर्ष सारणी में 5 है या नहीं। उक्त सारणी में एक मूलांक वालों के लिए वर्ष मूलांक में पांच अंकित है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इनकी शादी 1992 मे होने की संभावना है।

वास्तव में इनकी शादी की चर्चा अक्टूबर 92 में ही प्रारंभ हुई और मई 1993 में इनकी शादी हुई। अधिकतर मामलों में यह गणना सही पाई गई।

इसके अतिरिक्त शादी का समय निकालने हेतु गोचर फल एवं महादशा ,अंतर्दशा एवं प्रत्यंतर दशा का भी अध्ययन कर विश्लेषण किया जाता है।

❐

आशियाना

✍ डॉ. सतीश 'बब्बा'
पता – डॉ. सतीश चन्द्र मिश्र,
ग्राम–पोस्टाफिस, कोबरा,
जिला–चित्रकूट,
उत्तर प्रदेश–210208

शाम होते ही उड़ते पंछी जैसे अपने – अपने आशियानों की ओर उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार आदमी अपना आशियाना याद करके वापस लौटता है।

शहर की चहल–पहल, शहर के शोरगुल मुन्ना को कतई पसंद नहीं थे। फिर भी मजबूरी होती है गांव के लोगों की, नासमझ सीधे–सादे लोगों के बीच में कुछ गिने–चुने लोग होते हैं जो दिमाग लगाते हैं। अपने से होशियार किसी को नहीं समझते हैं।

मुन्ना के गांव का नाम ही होशियारपुर रखा गया था। जहां दिमाग लगानेवाले लोगों की कुछ ज्यादा ही संख्या थी। गांव के भाईचारा से गांव के ही कुछ लोग खुश नहीं रहते हैं। फिर यह वोट की राजनीति तो और कड़वी तुम्बी नीम चढ़ी!

भाई से भाई को लड़ाकर सरपंच बनने का ख्वाब लोगों को सोने नहीं देता! खेत की मेंड़ वहीं होती है जहां, होना चाहिए। फिर भी एक तरफ झड़बेरी लाल, एक तरफ पट्टू लगकर भाई को भाई से, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाते हैं। मारपीट करवाना उनके बाएं हाथ का खेल है। पटवारी का हाथ भी इसमें कम नहीं होता है। जिससे पैसे मिले एक हाथ, एक बीता उसका खेत बढ़ गया। यहीं से झगड़े की जड़ शुरू होती है। लाठी नहीं चली तो भी मुकदमा पक्का हो गया। एक तरफ झड़बेरी लाल, एक तरफ पट्टू वकील भी उनके दोस्त या रिश्तेदार! बिटिया का विवाह पीछे अस्तित्व की लड़ाई पहले!

एक दूसरे का गांव से नेवता – हकार कम करवाने की होड़। पंगत में एक साथ नहीं खाना, तमाम बुराइयां शुरू हो जाती हैं।

मुन्ना भी इन्हीं साजिशों का शिकार था। मुन्ना भी पुलिस द्वारा शांति भंग होने की आशंका की धारा 107 – 17/16 में हफ्ते में तारीख, जमीन संबंधी तमाम केशों के तहत उसे भी शहर जाना पड़ता था।

अब तो शहर, शहरी बाबू एवं शहरी मेम कितनी बदल गई हैं। स्कूटी पर सवार, मुंह ढ़का हुआ, सिर्फ आंखें खुली हुई होती हैं। कुछ मेम तो देखने लायक नहीं होती, कुछ तो गजब

ढाती हैं। अर्धनग्न अवस्था में जाने कैसे बलखाती चलती हैं जैसे, विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने जा रही हैं। मुन्ना संगमरमरी बदन को प्रदर्शित होता देख कहता है, छी छी छी, यहां से तो अच्छा, मेरा गांव है!

मुन्ना एक दिन कचहरी में तारीख लेने के लिए पुकार के इंतजार में बैठा था कि, तभी एक नवयुवती किशोरी ने उसकी तरफ देखा जिसकी बड़ी–बड़ी हिरनी जैसी आंखें, पतली कमर, पके कुंदरू के सदृश लाल ओंठ, करभोरु एवं उन्नत उरोज से थोड़ी झुकी हुई, नितम्बों का भारीपन उसकी अनुपम सौंदर्य का परिचायक था।

मुन्ना साठ साल में क्या करे, जवानी के वो दिन याद आते हैं जब सबकुछ सरल लगता था। काश, तब यह प्रणय निवेदन किया गया होता! फिर भी मुन्ना जानता है कि, यह निवेदन जो निर्लज्जता की हदें पार कर रहा है अगर मैंने ठुकरा दिया तो इस उम्र में यह कुछ भी लगा कर, बखेड़ा खड़ा कर सकती है! यहां मुकदमा भी प्रभावित हो सकता है।

मुन्ना ने कहा, समय, जगह कुछ भी तो नहीं है! उस सुंदरी ने पैसों की मांग की थी। साथ में कहा था कि, जब चाहें, जहां चाहें बुला लेना, मैं आ जाऊंगी! आज पैसों की जरूरत है, पैसे दे दीजिए! मुन्ना, मरता क्या न करता! उससे जान बचाने के लिए कुछ पैसे दे भी दिए थे।

मुन्ना ने नायब तहसीलदार की अदालत से मुकदमे को जीतने के लिए पन्द्रह हजार रूपए रिश्वत दिए थे। मुन्ना के फेवर में मुकदमे का फैसला हो भी गया था। फिर उपजिलाधिकारी को भी पचासों हजार रुपए दिए थे, तब मुकदमा मुन्ना के फेवर में हुआ था। अब कमिश्नर के यहां फाइल गयी थी वहां भी चमचों को खिलाया – पिलाया गया था।

मुन्ना शहर दौड़ते–दौड़ते बीमार पड़ गया था। उम्र का तकाजा भी था। आखिर कर्ज देने वाले मुन्ना को घेरने लगे थे। कमिश्नर के यहां से मुन्ना ने मुकदमा जीत लिया था। अब मुकदमा हाईकोर्ट पहुंच गया था।

जिस खेत की लड़ाई थी, एक हाथ मेंड़ का मसला था। उस पूरे खेत के कीमत के बराबर की रकम मुकदमा में खर्च हो गई थी।

झड़बेरी लाल, पट्टू दोनों अभी भी सक्रिय थे। बीमारी की दवा के लिए मुन्ना के पास पैसे नहीं थे। दवा करवाने के लिए कोई कर्ज भी नहीं दे रहा था। मुकदमा के लिए पैसे देने के लिए लोग इसलिए तैयार थे कि, खेत लिख देगा मुन्ना! आखिर एक दिन मुन्ना ही टूट गया था। मुकदमा नहीं टूटा था।

खेत भी वहीं है, मेंड़ भी वहीं है, सरकारी इंद्राज भी वही हैं। नहीं है तो, मुन्ना! मुन्ना के मरने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। लोग इकट्ठे हो गए थे। मुन्ना को श्मशान ले जाने की तैयारी की जा रही थी। आज मुन्ना को आग के हवाले कर दिया जाऐगा। कल मुन्ना राख का ढेर हो जाएगा!

मुन्ना की मेहरारू, बच्चे उस आशियाना को देख दहाड़ें मार–मारकर रो रहे हैं, जिसे मुन्ना ने बनाया था।

❐

कविता

सुकून

✍ मृत्युंजय कुमार मनोज
पता– निराला एस्टेट, फेज–2
टेकजोन–4, गौतमबुद्ध नगर
ग्रेटर नोएडा (पश्चिम),
उ.प.–201306

जिसकी तलाश में
भाग रहा है हर शख्स
सुबह, शाम, चारों पहर,
शिद्दत से लगा है कमाने में
धन–दौलत,नाम–शोहरत,
पर पाकर भी उसे
नहीं है सुकून एक पल यहां।
यदि पाना है सुकून
तो देनी होगी तिलांजलि
क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे भावों को
करना होगा अपेक्षाओं का त्याग
और उपेक्षाओं को नजरअंदाज,
ढालना होगा स्वयं को
बदलती परिस्थितियों के अनुसार,
बढ़ते रहना होगा निरंतर कर्म–पथ पर
मंजिल की परवाह किए बगैर और
जीना होगा जीवन–यात्रा के हर पल
को कृतज्ञता के भाव के साथ।
है ज्ञात सभी को
संसार की क्षणभंगुरता
जहां अगले पल का कुछ पता नहीं
खड़ी है मौत हर डगर, हर पहर
जिसकी आगोश में तय है मिलना
वो सुकून एक दिन
जिसको जीते जी भी
पा सकता था हर शख्स यहां। ❐

वक्फ के दावों को सही साबित करने के लिए निराधार तार्किक दावे किए जा रहे हैं

✍ डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

वक़्फ के दावों को सही साबित करने के लिए और दुर्दांत मुगल शासकों को उदार और महान सिद्ध करने के लिए कितने प्रकार के निराधार तार्किक दावे किए जाते हैं कि जरा सा सामान्य ज्ञान प्रयोग किया जाए तो दावे हास्यास्पद लगने लगते हैं।

उदाहरण ये हैं कि ये कहानी कि माता कामाख्या मंदिर को भी औरंगजेब ने जमीन दान की थी उसका प्रमाण है।

जबकि इतिहास गवाह है कि औरंगजेब या मुगलों का नियंत्रण कभी भी आसाम पर नहीं रह पाया फिर भी कहानियाँ ये हैं कि कामाख्या मंदिर को दान दिया था। यह इस बात का प्रमाण है भारत के वर्तमान और अतीत दोनों को भ्रमित करके कट्टरपंथी वोट बैंक की राजनीति खोखले दावों पर की जाती है। ❐

जीवन में बंधन का महत्व

✍ डॉ. कुमकुम वेदसेन
मनोविश्लेषक, नवी मुंबई
संपर्क: 8355897893
ईमेल : k.vedasen@gmail.com

कभी समय का बंधन, कभी इच्छाओं का बंधन और कभी समाज का बंधन तो कभी रिश्तों का बंधन।

वर्तमान परिवेश में सामाजिक मर्यादा या पारिवारिक बनावट कुछ ऐसी उलझती जा रही है कि नए–नए तरीके सामने आ रहे हैं जिसमें गहराई से देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बंधन को लोग स्वीकार नहीं रहे हैं। और आधुनिकता, व्यावहारिक होने का एक सर्टिफिकेट खुद को दे रहे हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझा सकते हैं, आज की युवा पीढ़ी बहुत ही होशियार, आत्मनिर्भर, स्मार्ट पीढ़ी कही जा रही है। तथ्य में सच्चाई भी है। जब उनकी तुलना पुरानी पीढ़ी से की जाती है तो बहुत ऐसे विशेष, गुण उनके सामने आते हैं जिसके कारण वह अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सामाजिक जिंदगी जी रहे हैं, आत्मनिर्भर हैं लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने आप को वैवाहिक बंधन में बांधने से कतरा रही है।

कभी तो उसे मनपसंद लड़की नहीं मिलती, कभी तो मनपसंद लड़के नहीं नजर आते, मनपसंद की परिभाषा ही बदल गई है। लेकिन यहां मैं आज की युवा पीढ़ी को एक परामर्श देना चाहूंगी। राष्ट्र निर्माण में, पारिवारिक विकास के लिए शादी–विवाह सामाजिक मर्यादा का अटूट बंधन है।

जब भी हम अपने संसार को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शादी विवाह करना अत्यंत आवश्यक है और वह भी समय पर क्योंकि समय पर किया गया हर काम सफल और विकसित होता है। संदर्भ में राष्ट्रकवि दिनकर की एक कविता की दो लाइन लिख रही हूं।

सूख गए हैं फसल सारे, तिनका तिनका बिखर गया, अब तो बारिश का कोई अर्थ नहीं।

एक मुहावरा भी लिख रही हूं, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी। कहने का यह अर्थ हुआ, बारिश हो रही है लेकिन समय पर अगर बारिश नहीं होती है तो फसल बर्बाद होते हैं, सूख जाते हैं। सामाजिक बनावट एक ऐसी परंपरा है जिसमें मर्यादा का बंधन होता है। अब बंधन बहुत आवश्यक है। आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां भी आप एक बंधन से बंधे हुए हैं, आप घर में भी रह रहे हैं तो आप एक बंधन से बंधे हुए हैं। कभी समय का बंधन है, कभी इच्छाओं पर बंधन करना पड़ता है। हर इच्छा पूरी नहीं होती, इस प्रकार वैवाहिक संबंध जो है उसे समय पर हो जाने पर ही सामाजिक विकास हो सकता है और नहीं तो यह समाज रूपी वृक्ष की छाया अगली पीढ़ी को नहीं मिलेगी। इस बात के लिए युवा पीढ़ी को सावधान होना पड़ेगा कि आपके जीवन का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे आप ही निभा सकते हैं। यह हिस्सा कोई दूसरा नहीं निभा सकता। यह तो स्पष्ट है कि ना आप पर्फेक्ट हैं ना हम पर्फेक्ट हैं, पर्फेक्ट बनाना पड़ता है। वैवाहिक संबंध में सफलता पाना आपके स्वभाव सामंजस से आदत के ऊपर निर्भर करता है। माना कि आप एक आत्मनिर्भर व्यक्तित्व वाले लड़के हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं लेकिन इसी तरह की अवस्था आपके पूर्वज भी किए हैं, उनसे कम से कम आप यह सीख सकते हैं कि मुझे सामाजिक बंधन की मर्यादा में किस प्रकार जीवन यापन करना है। युवा पीढ़ी को मैं क्या परामर्श दूंगी, समय आने पर हर काम यथावत चलता रहता है पर समय पर विवाह के लिए आवश्यक निर्णय लें। विवाह की उम्र निकल जाती है तो उसके बाद आप अगर विवाह करते हैं तो बात वही होगी क्या वर्षा जब कृषि सुखानी।

युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है और इसी भविष्य पर हमारे देश का, राष्ट्र का निर्माण निर्भर करता है। आपने तो आत्मनिर्भर बनकर अपने कर्तव्य को बड़े ही निष्ठा पूर्वक निभा लिया पर एक सेकंड के लिए आप यह सोचिए कि आपकी बात कौन सी पीढ़ी से होगी जिसको यह समझ में आएगा कि हम आगे अपने राष्ट्र को कहां लेकर जाएं। एक शून्यता आप देने जा रहे हैं। सुनने में बड़ा ही बेतुका लगने लगेगा, पढ़ने में भी बेतुका लगेगा पर गहराई से ठंडे दिमाग से युवा पीढ़ी यह सोचे कि हर काम समय पर अगर होता है तो कोई भी कार्यालय/ऑफिस जो है उसकी तरक्की और सफलता निश्चित होती रहती है और खुशियां मिलती हैं, आनंद मिलता है।

खुशी की तलाश में तो हम लोग पूरे जीवन एक दूसरे के लिए कर्तव्यबद्ध हो जाते हैं। युवा पीढ़ी से मेरी यह गुजारिश है कि बंधन के महत्व को समझते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।

❐

संजय मिश्रा, महेश मांजरेकर और नीरज चौहान अभिनीत फिल्म ''द सीक्रेट ऑफ देवकाली'' रिलीज को तैयार

मुंबई ब्यूरो, बहुप्रतीक्षित पौराणिक थ्रिलर 'द सीक्रेट ऑफ देवकाली' 18 अप्रैल, 2025 को सिनेमाघरों में आने पर दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है। नीरज चौहान द्वारा निर्देशित और चौहान प्रोडक्शन बैनर के तहत निर्मित, यह फिल्म भाग्य, शक्ति और दैवीय हस्तक्षेप की एक मनोरंजक कहानी पेश करती है।

नए अनावरण किए गए पोस्टर में एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत किया गया है – कई चेहरे एक में मिल गए हैं, जो शक्ति और न्याय के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। इसके केंद्र में, त्रिशूल पकड़े हुए एक व्यक्ति हिरणों से घिरा हुआ है, जिसे दस हाथों वाले देवता के रूप में चित्रित किया गया है, जो फिल्म के मूल विषय आस्था, न्याय और छिपे हुए सत्य को दर्शाता है।

प्रतिष्ठित अभिनेताओं के समूह से युक्त द सीक्रेट ऑफ देवकाली में महेश मांजरेकर, संजय मिश्रा और जरीना वहाब की प्रतिभाओं के साथ–साथ नीरज चौहान एक महत्वपूर्ण भूमिका में और भूमिका गुरुंग मल्होत्रा एक महत्वपूर्ण किरदार में हैं। महेश मांजरेकर, जो अपनी शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं, एक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाता है। संजय मिश्रा, अपनी विशिष्ट गहराई और बहुमुखी प्रतिभा के साथ, फिल्म की कथा में एक सम्मोहक परत जोड़ते हैं। जरीना वहाब, एक अनुभवी अभिनेत्री, माधवा माँ की भूमिका में इस पौराणिक थ्रिलर में प्रामाणिकता लाने के लिए अपनी कृपा और अनुभव का इस्तेमाल करती हैं। निर्देशन के अलावा, नीरज चौहान एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं, जिसकी यात्रा देवकाली के रहस्यों से जुड़ी हुई है।

नेहा सोनी ने द सीक्रेट ऑफ देवकाली की पटकथा खूबसूरती से लिखी। यह सदियों पुरानी मान्यताओं, मानवीय संघर्षों और ईश्वरीय न्याय का प्रतिबिंब है। माधव की यात्रा के माध्यम से, हम यह पता लगाते हैं कि कैसे आस्था भाग्य को आकार देती है और कैसे अतीत वर्तमान को प्रभावित करता रहता है।

मथुरा, वृंदावन और सूरत के आध्यात्मिक गढ़ों में फिल्माई गई यह फिल्म लुभावने दृश्य और एक मनोरंजक अनुभव प्रदान करती है। अली असलम शाह द्वारा दिया गया बैकग्राउंड स्कोर और जावेद अली एवं असलम अली शाह द्वारा दिया गया संगीत इसकी भव्यता को और बढ़ा देता है। मुकेश तिवारी ने सिनेमैटोग्राफी संभाली है, लोकेश मलिक और साहिल अंसारी ने संपादन का नेतृत्व किया है। द सीक्रेट ऑफ देवकाली पौराणिक कथाओं, रहस्य और नाटक का एक सहज मिश्रण होने का वादा करती है।

जैसे–जैसे प्रत्याशा बढ़ती है, दर्शक 18 अप्रैल, 2025 को सिनेमाघरों में द सीक्रेट ऑफ देवकाली के रिलीज होने पर आस्था, रहस्य और शक्ति की एक आकर्षक कहानी की उम्मीद कर सकते हैं। ❐

'पंजाब किंग्स' ने अपनी मार्केटिंग और डिजिटल सामग्री बनाने के लिए साहिबा बाली को शामिल किय; श्रेयस अय्यर ने उन्हें भाग्यशाली शुभंकर बताया

पंजाब किंग्स, लोकप्रिय आईपीएल फ्रैंचाइजी ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेट की दीवानी और सभी की नई पसंदीदा खेल प्रस्तुतकर्ता, साहिबा बाली को अपने मार्केटिंग और डिजिटल सामग्री क्यूरेटर के रूप में शामिल किया है। इस आईपीएल सीजन में, साहिबा पर्दे के पीछे की सभी गतिविधियों को देखेंगी, प्रशंसकों को विशेष सामग्री और मजेदार खिलाड़ियों की बातचीत के साथ टीम के करीब लाएँगी।

इस सहयोग के हिस्से के रूप में, पंजाब किंग्स ने एक बिल्कुल नया डिजिटल सेगमेंट, कैंडीड विद किंग्स फीट साहिबा बाली पेश किया है, जहाँ बाली प्रशंसकों को खुलकर बातचीत, आकर्षक चुनौतियों और अनफिल्टर्ड बीटीएस पलों के माध्यम से टीम के बारे में अंदरूनी जानकारी देंगी। खिलाड़ियों के साथ इतने करीब से काम करने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, साहिबा ने कहा, क्रिकेट, ब्रांड निर्माण और कंटेंट निर्माण के प्रति मेरे प्यार के कारण, यह स्वाभाविक लग रहा था। पंजाब आईपीएल की मूल टीम रही है। उन्होंने कभी कोई खिताब नहीं जीता था, लेकिन इस साल, मुझे जीतने का पक्का भरोसा है। मुझ पर भरोसा करने के लिए मालिक सतीश मेनन और पीबीकेएस के सौरभ की आभारी हूँ।

टीम ने साहिबा की विशेषता वाली एक विशेष इंस्टाग्राम रील की घोषणा की, जहाँ वह श्रेयस अय्यर, हर्षदीप सिंह और शशांक सिंह जैसे खिलाड़ियों के साथ जीवंत बातचीत करती नजर आईं। एक हल्के–फुल्के पल में, क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने उन्हें एक भाग्यशाली शुभंकर भी कहा, जिससे नए सेगमेंट को लेकर उत्साह और बढ़ गया।

❐

वक्फ (संशोधन) विधेयक बना कानून-देश में विरोध प्रदर्शन शुरू

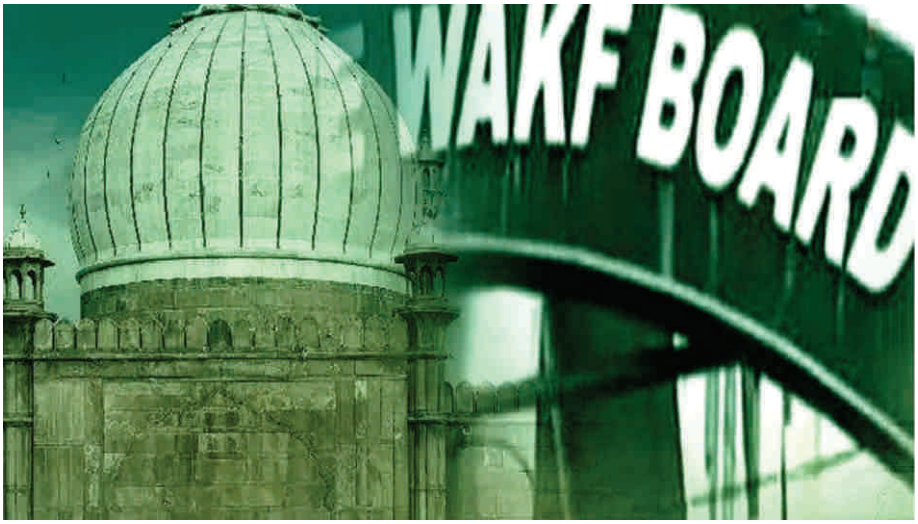

✍ जितेन्द्र कुमार सिन्हा
पूर्व अध्यक्ष
बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन

लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर 12 घंटे से अधिक समय तक गहन चर्चा हुई, जो (2 अप्रैल) बुधवार को रात दो बजे बहुमत से पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े। वहीं, राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर (3 अप्रैल) गुरुवार को 13 घंटे की चर्चा के बाद रात करीब दो बजे विपक्ष के भारी विरोध के बीच बहुमत से पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में कुल 128 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में 95 मत।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जिससे यह कानून बन गया है। यह संशोधन वक्फ अधिनियम, 1995 में महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाना है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक के तहत, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर–मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रबंधन में विविधता आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। वक्फ (संशोधन) विधेयक में कम से कम दो मुस्लिम महिलाओं को केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में शामिल करने का प्रावधान है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक में सरकार को विवादित वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि इससे ऐतिहासिक मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों की संपत्तियों पर खतरा हो सकता है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद से पास होने के खिलाफ, देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। 4 अप्रैल (शुक्रवार) को जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम में मुस्लिमों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें महिला–बच्चे भी शामिल थे।

गुजरात के अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर जुटे। उनके पोस्टर–बैनर पर वक्फ बिल वापस लो, रिजेक्ट यूसीसी लिखा था। लोग बांह पर काली पट्टे बांधे हुए थे। भीड़ तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रही थी। पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्क सर्कस क्रासिंग में हजारों लोग सड़कों पर जमा हुए थे। यहां भी वक्फ बिल रिजेक्ट के बैनर–पोस्टर लिए लोग विरोध कर रहे थें। वहीं, केरल के मुनंबम में वक्फ से भूमि विवाद में उलझे 50 लोगों ने भाजपा जॉइन किया। इन लोगों की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का दावा है। ये लोग बीते 6 महीन से वक्फ का विरोध कर रहे हैं।

राज्यसभा में सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक का मकसद वक्फ की जमीन के

प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह विधेयक राष्ट्र हित में है और किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है और न ही किसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर लाया गया है। उन्होंने कहा है कि 2013 में संप्रग सरकार के दौरान वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति में 13 सदस्य थे, जबकि इस जेपीसी में 31 सदस्य थे। जेपीसी ने व्यापक विचार किया, 36 बैठकों में 200 से अधिक घंटे तक चर्चा की, 284 पक्षों से बात की।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विपक्ष मुसलमानों को डरा रहा है और मुख्यधारा से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। इस बिल (वक्फ संशोधन विधेयक) से किसी मुसलमान का नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि फायदा होगा।

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में मनमाने ढंग से पारित कराया गया है। विधेयक समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाये रखने की भाजपा की रणनीति है।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक अल्पसंख्यकों को तबाह करने के लिए लाया गया है। वक्फ निकाय में चयनित सदस्यों के बदले मनोनयन पर जोर दिया गया है, ताकि अधिकार अपने हाथ में लिया जा सके। यह विधेयक संविधान के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, मुस्लिमों की इतनी चिंता जिन्ना ने भी नहीं की थी। राउत ने कहा कि दोनों सदनों में गरीब मुस्लिमों की बहुत चिंता हो रही है। हिंदू–मुस्लिम दोनों इससे डरे हुए हैं।

बीजू जनता दल (बीजेडी) ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपना रुख बदल दिया। पहले उसने विरोध किया, लेकिन बाद में सांसदों को स्वतंत्र रूप से राज्यसभा में मतदान करने की छूट दे दी।

जनता दल (सेक्युलर) के नेता पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा, मैं सरकार का समर्थन करता हूं और वक्फ (संशोधन) विधेयक लाने के लिए उन्हें बधाई देता हूं। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी संचालित प्रबंधन को लागू करना, जटिलताओं को हल करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

सदन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने वक्फ की संपत्ति पर बोलते हुए यह उचित कहा है कि वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन और लाखों–करोड़ों की संपत्ति है, जिसका इस्तेमाल देश के गरीब मुसलमानों के हित में किया जाना चाहिए। जिस तरह, रेलवे और सेना की जमीनें सार्वजनिक हित में इस्तेमाल की जाती हैं, उसी तरह वक्फ बोर्ड की संपत्ति का भी इस्तेमाल देश–हित में होना चाहिए।

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन करते हुए मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया है कि इस विधेयक से समुदाय की संपत्तियों–मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों या कब्रिस्तानों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अधिकार देने के लिए है, उन्हें छीनने के लिए नहीं। उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि इससे मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विधेयक पारित होने के बाद बोलते हुए शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने केन्द्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और इस कदम के लिए जनता को बधाई दी।

शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि मैं वक्फ (संशोधन) विधेयक से असली खतरा वक्फ भू–माफियाओं को है, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति लूटी है और वक्फ के असली उद्देश्य के खिलाफ काम किया है। उन्होंने समुदाय से विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से परहेज करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि संशोधन उनके लाभ के लिए बनाया गया है।

सरकार का दावा है कि यह वक्फ (संशोधन) विधेयक भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को कम करेगा तथा वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन में सहायता करेगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे 'प्रगतिशील' कदम बताया है। वहीं, विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है और धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता को प्रभावित करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुस्लिम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।

केन्द्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे। इसमें चार से अधिक गैर–मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसमें तीन संसद सदस्य (सांसद) होंगे, 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय के होंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीश, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक अधिवक्ता, विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त चार व्यक्ति, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव भी होंगे। इनमें मुस्लिम समुदाय के जो 10 सदस्य होंगे उनमें दो महिलाएं होना जरूरी है।

राज्य वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य

होंगे। इनमें तीन से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से एक पदेन सदस्य होगा। बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, एक सांसद, एक विधायक, 4 मुस्लिम समुदाय के सदस्य, पेशेवर अनुभव वाले दो सदस्य, बार काउंसिल का एक सदस्य तथा राज्य सरकार का संयुक्त सचिव शामिल होगा। मुस्लिम समुदाय के चार सदस्यों में से दो महिलाएं होंगी। इसके अलावा वक्फ (संशोधन) विधेयक के अनुसार वक्फ न्यायाधिकरण को मजबूत किया जाएगा, एक व्यवस्थित चयन प्रक्रिया होगी और सक्षम विवाद निस्तारण प्रक्रिया के लिए इसका निर्धारित कार्यकाल होगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण के निर्णयों को दीवानी वाद के जरिये चुनौती दी जा सकेगी। इसके प्रावधानों के अनुसार वक्फ संस्थाओं की ओर से वक्फ बोर्ड को दिया जानेवाला अनिवार्य योगदान सात प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। एक लाख रुपये से अधिक आय वाले वक्फ संस्थानों को राज्य प्रायोजित अंकेक्षण करवाना होगा। विधेयक में एक केंद्रीयकृत पोर्टल का प्रावधान किया गया है जिससे वक्फ प्रबंधन को दक्षतापूर्वक और पारदर्शिता से संचालन में मदद मिलेगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि (कम से कम पांच वर्ष तक का) प्रेक्टिसिंग मुस्लिम ही अपनी संपत्ति वक्फ कर पाएगा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि संपत्ति को वक्फ को घोषित करने से पहले महिलाओं को उनकी विरासत दी जाएगी और इसमें विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि जिलाधिकारी से ऊपर के रैंक का कोई अधिकारी वक्फ घोषित की गई सरकारी जमीन की जांच करेगा।

देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर अक्सर विवाद होते रहे हैं। इसके चलते कानूनी लड़ाई और सामुदायिक चिंता भी बनी है। सरकार ने बताया कि सितंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डो में 5973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। इसको लेकर केन्द्र सरकार के पास भी लगातार शिकायतें पहुंची है।

भारत में वक्फ के पास 8,72,324 अचल संपत्ति है। कब्रिस्तानों में 1,50,569 संपत्तियां शामिल हैं, जो सभी वक्फ संपत्तियों का 17% है, जो किसी भी एक श्रेणी के लिए सबसे अधिक है। लगभग 1,19,200 वक्फ संपत्तियों में मस्जिदें हैं, जो कुल संपत्ति का 14% है। प्लॉट (64,724), आशूरखाना (17,719), मदरसे (14,008) और 1,26,189 अन्य संपत्तियां शामिल हैं। वक्फ स्वामित्व के अंतर्गत दुकानों और मकानों की संख्या क्रमशः 1,13,187 और 92,505 है, जो महत्वपूर्ण आर्थिक उपयोग को दर्शाती है। 1,40,784 कृषि संपत्तियों के साथ, वक्फ भूमि स्वामित्व पैटर्न में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कुल संपत्तियों का 16% है। धार्मिक स्थल कुल 33,492 संपत्तियां हैं। इनमें प्लॉट (64,724), आशूरखाना (17,719), मदरसे (14,008) और 1,26,189 अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां (2,32,547) हैं, जो राष्ट्रीय कुल का 27% है। सबसे कम संपत्ति गुजरात (39,940), तेलंगाना (45,682) और केरल (53,282) के पास है। ज्यादा संपत्ति वाले अन्य राज्य में पश्चिम बंगाल (80,480), पंजाब (75,965), तमिलनाडु (66,092) और कर्नाटक (62,830) शामिल हैं। वक्फ संपत्तियों में 64,724 भूखंड, 17,719 आशूरखाने, 14,008 मदरसे और अन्य श्रेणियों में 1,26,189 संपत्तियां शामिल हैं।

भारत में मुस्लिम समुदाय, जो कुल जनसंख्या का लगभग 14% है, वक्फ (संशोधन) विधेयक के प्रभावों को लेकर चिंतित है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव आएगा और समुदाय पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

राजनीतिक मामलों के जानकार के अनुसार, वक्फ सम्बन्धी नए कानून से एक ओर जहां पसमांदा यानी गरीब व कमजोर वर्ग के मुसलमानों को काफी फायदा मिलेगा, जिससे इंडिया गठबंधन के अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव स्वाभाविक है, वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड में व्याप्त वैधानिक अराजकता को नए संशोधन कानून द्वारा समाप्त किये जाने से हिंदुओं में यह आश्वस्ति भाव पनपेगी कि अब उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड के दांवपेचों से पूरी तरह से बची रहेगी। इससे राजग को मजबूती मिलना स्वाभाविक है।

❐

बनाएं कुरकुरा और मुलायम दही बड़ा

✍ किरण उपाध्याय
रेसिपी एक्सपर्ट

इस बार हम कुरकुरा और मुलायम दही बड़ा बनाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है।

सामग्रियांः—

करीब ढाई सौ ग्राम उड़द दाल, एक बड़ा चम्मच चना दाल, एक बड़ा चम्मच मूंग दाल ,दही आधा केजी, भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर ,हरी मिर्च दो, अदरक 1 इंच, धनिया पत्ती,काली मिर्च, सादा नमक, काला नमक ,भुने हुए लाल मिर्च का पाउडर (चिल्ली फ्लेक्स), चाट मसाला, तेल तलने के लिए।

बनाने की विधिः—

सबसे पहले हम उड़द दाल, चना दाल और मूंग दाल को अच्छी तरह से धोकर करीब चार घंटे तक पानी में फूलने के लिए छोड़ देंगे। चना दाल और मूंग दाल मिलने से हमारा दही बड़ा कुरकुरा होता है। हरी मिर्च, धनिया पत्ती और अदरक को बारीक—बारीक काट लेंगे, काली मिर्च को दरदरा पीस लेंगे, करीब 4 घंटे बाद सभी दालों को भी पीस लेंगे। अब हम पिसे हुए दाल में स्वाद अनुसार नमक, काला नमक ,बारीक कटी हुई हरी मिर्च , बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, बारीक कटा हुआ अदरक, दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च भी मिला लेंगे। अब हम एक चौड़े बर्तन में एक ग्लास पानी डालेंगे। उस पानी में हम सादा नमक, काला नमक भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर आधा—आधा चम्मच मिला लेंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स मिला लेंगे। अब हम दही बड़े को तलने से पहले पिसे हुए दाल में एक चम्मच दही मिला लेंगे, इससे दही बड़े तेल कम सोखेंगे। हम तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और मध्यम आंच पर दही बड़े को अपने अनुसार आकार (चपटा या गोल) देकर, सुनहरा होने तक तल लेंगे। तलने के बाद दही बड़े का जो पानी हमने तैयार कर कर रखा था उसमें 2 मिनट के लिए डालकर फिर निकाल कर किसी बड़े बर्तन में रख लेंगे। इसी तरह से हम सभी दही बड़ों को तैयार कर लेंगे। अब हम ऊपर से दही का एक गाढ़ा घोल तैयार कर दही बड़ों के ऊपर डाल देंगे।

सर्व करते समय हम सबसे पहले एक दही बड़ा लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा दही डालेंगे, उसके ऊपर काला नमक, एक चुटकी भुना हुआ जीरा पाउडर, एक चुटकी भुना हुआ धनिया पाउडर, एक चुटकी चिल्ली फ्लेक्स, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला, इमली की मीठी चटनी या आधा चम्मच टोमेटो सॉस डालकर सर्व करेंगे। ❐

भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025- प्रमुख परिवर्तन और प्रभाव

✍ विजय गर्ग
शैक्षिक स्तंभकार, मलोट, पंजाब

भारत सरकार ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2025 का अनावरण किया है, जिसमें देश की शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से परिवर्तन शुरू किए गए हैं। यह नीति डिजिटल शिक्षा, कौशल–आधारित शिक्षा, पाठ्यक्रम पुनर्गठन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र भविष्य के नौकरी बाजार के लिए बेहतर हैं।

एनईपी 2025 की मुख्य विशेषताएं–

1) डिजिटल–फर्स्ट एप्रोच टू लर्निंग प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को पहचानते हुए, NEP 2025। संचालित ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों, स्मार्ट कक्षाओं और आभासी प्रयोगशालाओं को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करता है। ध्यान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुलभ बनाने पर है।

2) कौशल–आधारित और व्यावसायिक शिक्षा नीति व्यावहारिक कौशल, उद्यमिता और उद्योग–प्रासंगिक प्रशिक्षण पर अधिक जोर देती है। स्कूल और कॉलेज अब पेश करेंगे।

कक्षा 6 से अनिवार्य कोडिंग और डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम। एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण। प्रमुख कंपनियों के सहयोग से इंटर्नशिप और प्रशिक्षु।

3) बहु–विषयक उच्च शिक्षा मॉडल वैश्विक शिक्षा प्रणालियों से प्रेरित, एनईपी 2025 अंतःविषय सीखने को बढ़ावा देता है। विश्वविद्यालय अब छात्रों को संगीत के साथ इंजीनियरिंग, या पर्यावरण विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र जैसे विविध विषयों को संयोजित करने की अनुमति देंगे।

4) बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव परीक्षा के तनाव और रटने की शिक्षा को कम करने के लिए, कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं अब एक मॉड्यूलर दृष्टिकोण का पालन करेंगी, संस्मरण के बजाय वैचारिक ज्ञान का परीक्षण करेंगी। इसके अतिरिक्त, छात्र अपने स्कोर को बेहतर बनाने के लिए वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं।

5) क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का विस्तार भारत की भाषाई विविधता के साथ संरेखित करते हुए, एनईपी 2025 जनादेश देता है कि उच्च शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी पृष्ठभूमि के छात्रों के समान अवसर हों।

6) अनुसंधान और नवाचार पर बढ़ा फोकस एनईपी 2025 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित करता है। छात्रों और युवा विद्वानों का समर्थन करने के लिए पीएचडी और स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए अनुदान भी बढ़ाया गया है।

कम परीक्षा दबाव एक मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा संरचना तनाव को कम करती है और सीखने के परिणामों में सुधार करती है। ग्रेटर ग्लोबल अवसर भारतीय डिग्री क्रेडिट–आधारित शिक्षण प्रणाली को अपनाने के साथ अधिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करेगी। चुनौतियां और कार्यान्वयन रोडमैप जबकि एनईपी 2025 सुधार महत्वाकांक्षी हैं, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल पहुंच जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में सुचारू अनुकूलन सुनिश्चित करते हुए पांच साल की चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना की घोषणा की है।

निष्कर्ष भारतीय शिक्षा के लिए एक नया युग भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 एक अधिक समावेशी, लचीली और कौशल–उन्मुख शिक्षा प्रणाली की ओर एक शानदार कदम है। डिजिटल लर्निंग, अंतः विषय शिक्षा और कौशल–आधारित प्रशिक्षण को एकीकृत करके, एनईपी 2025 का उद्देश्य तेजी से विकसित होने वाले नौकरी बाजार के लिए छात्रों को लैस करना है।

❐

बोलो जिंदगी

पत्रिका में विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें।

Mob.: 7903935006 / 9122113522

E-mail : bolozindagi@gmail.com

मेल बॉक्स

बोलो जिंदगी

के पाठक हमसे सीधा सम्पर्क करें।

नीचे दिये गये ई-मेल के माध्यम से
हमे बतायें कि उन्हें कौन सा आलेख
ज्यादा पसंद आया।
क्या कमियां हैं
और उनके क्या सुझाव हैं।

E-mail : bolozindagi@gmail.com